Agrinnovate India

वार्षिक प्रतिवेदन

(वार्षिक लेखाओं सहित)

2021-22

Annual Report

(Including Annual Accounts)

2021-22

एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

Agrinnovate India Limited

(A Government of India Enterprise)

एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड

वार्षिक प्रतिवेदन

(वार्षिक लेखा सहित)

2021-22

कॉरपोरेट सूचना

निदेशक मंडल

डॉ. त्रिलोचन महापात्र
(31 जुलाई 2022 तक)

डॉ. हिमांशु पाठक
(04 अगस्त 2022 से)

श्री संजय गर्ग

डॉ. अशोक दलवाई

डॉ. प्रवीण मलिक

डॉ. के. श्रीनिवास

श्री आनंद मोहन अवस्थी

श्री जी. के. नागराज

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

डॉ. सुधा मैसूर (22 सितम्बर 2022 तक)
डॉ. प्रवीण मलिक (22 सितम्बर 2022 से)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री सौरभ मुनि (21 जुलाई 2022 तक)
श्री राहुल कुमार (21 जुलाई 2022 से)

कम्पनी सचिव

सुश्री धृति मदान

बैंकर्स

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
उद्योग भवन, नई दिल्ली

केनेरा बैंक (पूर्व में सिंडीकेट बैंक)
एन.ए.एस.सी. परिसर, डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स एस.सी. वर्मा एण्ड कम्पनी
चार्टेड एकाउन्टेंट्स
ए-60, एनडीएसई, पार्ट-1, नई दिल्ली-110049

पंजीकृत कार्यालय

जी-2, 'ए' ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर,
डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली-110012
फोन : 011-25842122

आभार

कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय, डीकेएमए
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान भवन-1,
पूसा, नई दिल्ली 110012

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड, जी-2, ए ब्लाक, एनएएससी कॉम्पलैक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली 110012 द्वारा प्रकाशित। मै. रॉयल ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-89/1, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली 110028 द्वारा लेजरटाईप सेट एंव मुद्रित।

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
कम्पनी के प्रदर्शन पर एक नजर	1-4
निदेशक की प्रतिवेदन	5-26
तुलन पत्र (बैलेंस शीट) एवं लाभ-हानि विवरण	27-46
स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	47-51
सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	61-66
भारत के नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक (सीएजी की टिप्पणीयां)	67-68

डॉ हिमांशु पाठक
Dr HIMANSHU PATHAK

सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग एवं
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली 110 001
Secretary, Department of Agricultural Research
and Education (DARE)
and Director General, Indian Council of
Agricultural Research (ICAR)
Krishi Bhawan, New Delhi 110 001

संदेश

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अनु.प.) कृषि अनुसंधान के लिए भारत में एक शीर्ष संगठन है। यह विभिन्न हितधारकों के लिए कृषि अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार और नई प्रौद्योगिकियों के प्रसार को बढ़ावा देने और इसमें तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भाकृअनुप सुनिश्चित करता है कि हमारे किसानों, उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं और उपभोक्ताओं तक अभूतपूर्व नए अविष्कार और प्रौद्योगिकियां पहुंचे। भाकृअनुप किसानों की आय, उपभोक्ताओं की पसंद और संतुष्टि को मूल में रखते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतिक लक्ष्यों जैसे खाद्य सुरक्षा, पोषण और ग्रामीण समृद्धि पर कार्य कर रहा है। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (ए.जी.आई.एन.) को डीएआरई के तहत निगमित किया गया था और आईपीआर के संरक्षण और प्रबंधन के साथ साथ परिषद द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण और वितरण में भाकृअनुप की सहायता के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, अनुसंधान संस्थानों और कृषि-उद्योग के बीच एक महत्वपूर्ण इंटरफेस के रूप में कार्य करता है और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए लाइसेंसिंग के माध्यम से प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण को बढ़ावा देता है। कंपनी ने कोविड-19 प्रतिबंधों के बावजूद रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अपने सकल राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की है। मानकीकृत प्रोटोकॉल के साथ, एग्रीनोवेट ने 2021-22 के दौरान लगभग 114 प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करके अंतिम हितधारकों के रूप में कई आईसीएआर संस्थानों, उद्योग और किसानों की मदद की है। मैं किसानों द्वारा कृषि उत्पादों में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए आईसीएआर संस्थानों की सराहना करता हूं। मुझे उम्मीद है कि उद्योग को प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण से, उद्योग भागीदारों के माध्यम से खेतों तक विज्ञान की बेहतर पहुंच के लक्ष्य को हासिल करने में इस क्षेत्र को मदद मिलेगी।

मैं वर्तमान और पूर्व के सभी निदेशकों, सदस्यों और तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधा मैसूर और एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड की पूरी टीम को, कंपनी को और अधिक जीवंत और दृश्यमान बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

(हिमांशु पाठक)
अध्यक्ष

संदेश

कृषि अनुसंधान और शिक्षा ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली (एनएआरईएस) के तहत संस्थानों द्वारा अभिनव उत्पाद विकास के माध्यम से जलवायु लचीलापन और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के साथ-साथ खाद्य और पोषण सुरक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, संस्थानों के प्रयासों को उपयोग योग्य तकनीकों में बदलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि, किसानों और अन्य हितधारकों तक इस लाभकारी शोध को पहुंचाने के लिए एक मध्यवर्ती उद्योग भागीदार की आवश्यकता होगी। शोधकर्ताओं के आईपीआर की रक्षा करते हुए प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और उनके व्यावसायीकरण में विशेष कौशल की आवश्यकता होगी और इसमें महत्वपूर्ण समय लगेगा, अत: इस अनूठे कार्य में तेजी लाने के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयर), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक विशेष उद्यम स्थापित किया गया था।,

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, कृषि प्रौद्योगिकियों के लिए एक 'अंतिम गंतव्य' के रूप में उपयुक्त है। इस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की स्थापना बड़े पैमाने पर उत्पादन और प्रौद्योगिकियों एवं उत्पादों के व्यापक प्रसार के लिए कुशल 'सार्वजनिक निजी भागीदारी' विकसित करने में कृषि अनुसंधान संस्थानों के लिए उत्प्रेरक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए की गई है। निरंतर प्रयासों, मानकीकृत प्रोटोकॉल और मजबूत सोशल मीडिया की उपस्थिति के साथ, एग्रीनोवेट ने भाकृअनुप द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी उत्पादों के बड़े पैमाने पर व्यावसायिक निर्माण और बिक्री के लिए व्यक्तियों और निजी कंपनियों को कई गैर-अनन्य लाइसेंस प्रदान किए हैं।

मैं कंपनी के प्रबंधन, वर्तमान और पिछले निदेशकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं और टीम द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में 2021-22 के दौरान उनके द्वारा की गई सभी गतिविधियों और प्रगति के सार को समग्र रूप में प्रस्तुत करने के प्रयासों की सराहना करता हूं। मैं उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूं।

(संजय गर्ग)
उपाध्यक्ष, एग्रीनोवेट

एग्रीनोवेट
इंडिया
लिमिटेड

एग्रीनोवेट की एक झलक

(रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान)

कम्पनी के प्रदर्शन पर एक नज़र

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड की स्थापना 19 अक्टूबर, 2011 को कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का नंबर 1) के तहत किया गया था। यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयर), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व वाली ''लाभ के लिए'' वाली कंपनी है। यह वैश्विक कृषि विकास को सुरक्षित रखने, बनाए रखने और बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए एक ओर भारतीय कृषि अनुसंधान परिशद (भाकृअनुप - डेयर के तहत एक स्वायत्त संगठन) और दूसरी ओर कृषि क्षेत्र के हितधारकों (किसानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों, शैक्षिक संस्थानों) के बीच एक प्रभावीशाली इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कंपनी की स्थापना साझेदारी के माध्यम से नवाचार और क्षमता संचालित कृषि विकास को प्रोत्साहित करने, बढ़ावा देने, बढ़ाने और उत्प्रेरित करने तथा नवाचार, मानव संसाधन और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली (एनएआरईएस) की क्षमताओं के कुशल उपयोग के माध्यम से कृषि विकास की गति बढ़ाने के मिशन के साथ की गई है।

भाकृअनुप और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) के तहत संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए दिशानिर्देशों को एग्रीनोवेट के अनुरूप बनाया गया है, जिससे सभी विषयों/क्षेत्रों में व्यावसायीकरण की संभावनाएं बढ़ गई हैं। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड अब भागीदारी के माध्यम से नवाचार और क्षमता संचालित कृषि विकास को बढ़ाने और उत्प्रेरित करने के लिए नए अवसरों का लाभ उठाने की एक निश्चित स्थिति में है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने अपनी व्यवसायिक गतिविधियों में एक मील का पत्थर हासिल किया है और संचालन से रु 5.33 करोड (पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3.91 करोड़ रुपये के मुकाबले) का राजस्व अर्जित किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी ने रु. 1.54 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कंपनी ने भाकृअनुप के 28 संस्थानों को उनके द्वारा विकसित लगभग 114 तकनीकों के हस्तांतरण में प्रभावी रूप से मदद की है। ये प्रौद्योगिकियां फसल विज्ञान (35%), डेयरी और पशु चिकित्सा विज्ञान (14%) बागवानी (45%) और मत्स्य पालन (6%) क्षेत्र से विकसित हुई हैं। प्रत्येक व्यवसाय प्रबंधक का औसत राजस्व रू 97 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 133.37 लाख हुआ है।

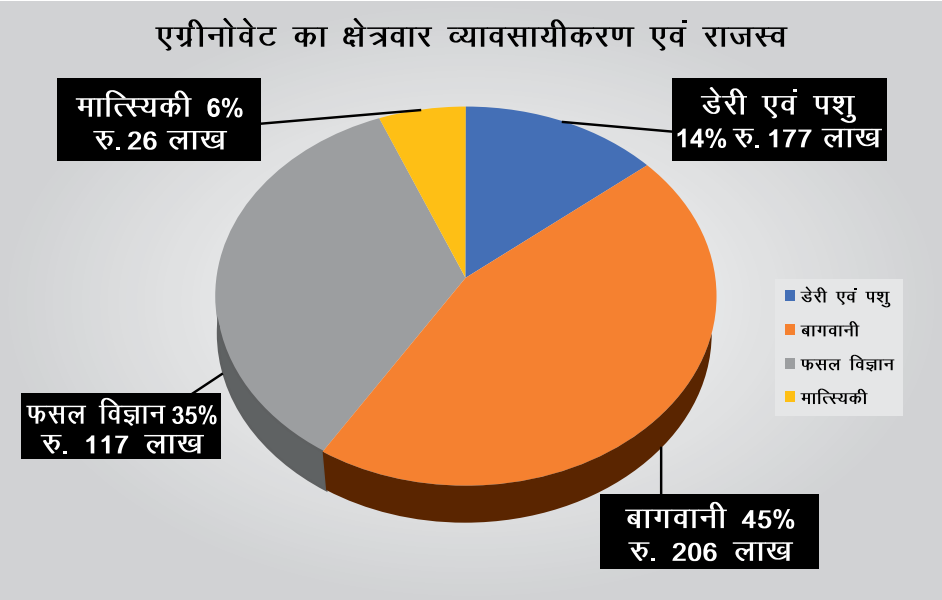

चित्र 1 : एग्रीनोवेट में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से प्राप्त राजस्व का विषयवस्तु वार विवरण

व्यवसाय विस्तार गतिविधियां

एग्रीनोवेट और उसके टीम के स्थायी एवं निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप कंपनी के लिए व्यावसायिक अवसरों का विस्तार हुआ और विभिन्न क्षेत्रों की लगभग 582 प्रौद्योगिकियों को एग्रीनोवेट के माध्यम से व्यावसायीकरण के लिए तैयार प्रौद्योगिकियों की सूची में जोड़ा गया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान भाकृअनुप के कुल 51 अनुसंधान संस्थानों और 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने एग्रीनोवेट के माध्यम से अपनी प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण किया। महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में आईसीएआर-सीएसएसआरआई, करनाल और आईसीएआर-सीआईएसएच, लखनऊ द्वारा केले की रेस टी4 में पनामा विल्ट के नियंत्रण के लिए विकसित आईसीएआर-"यूसिकॉन्ट तकनीक को एग्रीनोवेट द्वारा सितम्बर 2021 में मेसर्स इनोटेरा प्राइवेट लिमिटेड को गैर-अनन्य वैश्विक लाइसेंस प्रदान करना शामिल है।

भाकृअनुप प्रौद्योगिकियों की बढ़ती लोकप्रियता इस तथ्य से देखी जा सकती है कि कई प्रौद्योगिकियों का लाइसेंस बड़ी संख्या में निजी कंपनियों को दिया गया है। उदाहरण के लिए, भाकृअनुप के अनुसंधान संस्थानों से चार बायोपेस्टीसाइड फॉर्मूलेशन का लाइसेंस लगभग 48 निजी क्षेत्र की कंपनियों को दिया गया है। आईसीएआर-आईआईएचआर के अर्का माइक्रोबियल कंसोर्टियम का लाइसेंस 13 कंपनियों को दिया गया है।

प्रचार गतिविधियां

एग्रीनोवेट के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उनके टीम के स्थायी एवं निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप कंपनी के व्यवसायिक अवसरों में विस्तार हुआ है।

- एग्रीनोवेट ने 31 अगस्त, 2021 को मक्का के संकरों और प्रौद्योगिकियों पर वर्चुअल मोड के माध्यम से एक दिवसीय संस्थान उद्योग इंटरफेस का आयोजन किया, जिसमें 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- ओडिशा कॉर्पोरेट फाउंडेशन द्वारा आयोजित ''वाणिज्यिक कृषि के माध्यम से उद्यमिता विकास'' पर वेबिनार में एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। वेबिनार कार्यक्रम की श्रृंखला एग्रीनोवेट द्वारा प्रायोजित है।
- एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कृषि प्रौद्योगिकियों पर यूएनजीसीएनआई प्रथम वैश्विक सीईओ राउंड टेबल में एक पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था।
- एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निट्टे विश्वविद्यालय, मैंगलोर में कृषि एवं उद्योग जगत के साथ एक संवादात्मक सत्र के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।
- एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीएआर के नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन फंड के एग्री बिजनेस इन्क्यूबेटर्स की समीक्षा में विशेष आमंत्रित सदस्य थे।
- सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बैंगलोर ने एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण और इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना विषय पर पारस्परिक चर्चा एवं जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आमंत्रित किया।
- एग्रीनोवेट ने 1 जुलाई, 2021 को आईआईएसईआर, मोहाली द्वारा आयोजित वेबिनार में कृषि प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण और इनक्यूबेशन गतिविधियों को प्रमोट किया।

एग्रीनोवेट ने 21 अगस्त, 2021 को 'केला मूल्य श्रंखला, विपणन और नए व्यवसाय क्षितिज' पर आयोजित एक वेबिनार में इसके पास उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकियों और स्टार्ट-अप एवं उद्यमियों के समर्थन हेतु विभिन्न सरकारी पहलों को प्रस्तुत किया।

एग्रीनोवेट ने 19 सितंबर, 2021 को पशु आनुवंशिकी और प्रजनन विभाग, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन महाविद्यालय, मऊ में पशुधन क्षेत्र में आईपीआर और प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण की अवधारणा को प्रोत्साहित किया।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने भाकृअनुप - भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित आईसीएआर-आईवीआरआई-सीएसएफ-बीएफ को उच्चतम कीमत वाली प्रौद्योगिकी के रूप में तीन क्लाइंट कंपनियों को रु 60 लाख में तथा भाकृअनुप - भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान से बायोफॉर्मुलेशन अर्थात् एएमसी, टीएच, टीवी पीएफ, पीसी और एवीएस वर्ष के दौरान सबसे ज्यादा बिकने वाली तकनीक बन गई। औसतन कंपनी ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों सहित 28 आईसीएआर अनुसंधान संस्थानों की 114 प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण किया और भाकृअनुप - भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में वाणिज्यिकीकृत कुल प्रौद्योगिकियों में 49% योगदान दिया।

बोर्ड पर उपलब्ध भाकृअनुप के 45 संस्थानों में से 28 संस्थानों की प्रौद्योगिकियों का वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान वाणिज्यीकरण किया गया था, चूंकि शेष 17 संस्थानों की प्रौद्योगिकियां खरीददार पाने में असमर्थ रहीं हैं, अतः संबंधित संस्थानों द्वारा उनकी प्रौद्योगिकियों को बाजार के अनुकूल और बिक्री योग्य बनाना चाहिए।

मैं डॉ. सुधा मैसूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (4 फरवरी, 2019 - 22 सितंबर, 2022) की असाधारण सेवाओं को रिकॉर्ड पर रखता हूं। उनकी नियुक्ति के बाद एग्रीनोवेट की वेबसाइट को नया रूप देने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और संबंधित पक्षों को त्वरित प्रतिक्रिया देने के साथ ही कंपनी के सकल राजस्व रु. 2018-19 के रु 30 लाख से बढ़कर 2021-22 में रु534 लाख हुआ है।

मैं कंपनी के वर्तमान और पिछले निदेशक मंडल, पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, व्यवसाय विस्तार टीम, कंपनी सचिव, प्रशासन, वित्त, कंपनी से जुड़ी कानूनी टीम, वैधानिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, लेखा परीक्षा समिति के सदस्य, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्य और आईसीएआर संस्थानों, आईटीएमयू/आईटीएमसी, आईपी एंड टीएम, डी.के.एम.ए. आईसीएआर, डेयर भारत सरकार, विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के निदेशकों, एग्रीनोवेट के स्टार्ट-अप और उद्योग से जुड़ी गतिविधियों में सम्मिलित निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों से प्राप्त समर्थन और सहयोग के लिए उनके प्रति आभारी हूं।

मुझे कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। कंपनी के कामकाज एवं प्रदर्शन और रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार के लिए आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रिया और सुझावों की अत्यधिक सराहना की जाएगी।

प्रवीण मलिक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित विवरण के साथ कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर अपनी ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय उपलब्धियां (स्टैंडअलोन एण्ड कंसालीडेटेड)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

(रूपए सैकड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2020-21
1	संचालन से प्राप्त राजस्व	5,33,443	3,90,575
2	अन्य आय	2,81,135	3,06,315
3	कुल व्यय	6,08,560	5,11,176
4	सकल लाभ	2,06,018	1,85,713
5	कर हेतु प्रावधान	51,908	46,740
6	कर के बाद शुद्ध लाभ	1,54,110	1,38,973

31 मार्च 2022 का बैलेंस शीट और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण तैयार कर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

प्रचालन का सारांश

कंपनी ने प्रचालन से पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के रू 3.91 करोड़ की तुलना में चालू वर्ष में रू 5.33 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है। चालू वर्ष के दौरान रू 0.04 का मूल्यह्रास दर्ज किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 2020-21 में यह रू 0.05 करोड़ था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के रू 1.39 करोड़ के शुद्ध लाभ की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में रू 1.54 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वर्ष 2021-22 में प्रति व्यवसाय प्रबंधन राजस्व 97 लाख रुपए से बढ़कर 133.37 लाख रुपए हो गया है।

कंपनी के मामलों की स्थिति

कंपनी भाकृअनुप के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करने, प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, विभिन्न हितधारकों में कम्पनी के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में सक्रिय रूप से शामिल रही है।

महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण

एग्रीनोवेट के प्रयासों से विभिन्न निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और किसानों सहित व्यक्तिगत उद्यमियों को लगभग 114 प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में सहायता मिली है, जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हस्तांतरण शामिल हैं -

- भाकृअनुप-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित सीएसएफ और शीप पॉक्स वैक्सीन प्रौद्योगिकी स्थानीय उत्पादन और वैश्विक विपणन के लिए मैसर्स हेस्टर बायोसाइंसेस को हस्तांतरित की गई है।
- एग्रीनोवेट ने केले में घातक पनामा विल्ट रोग के विरूद्ध जैवकीटनाशक तकनीक 'आईसीएआर-"यूजीकॉन्ट" के स्थानीय उत्पादन और वैश्विक विपणन का गैर-अनन्य अधिकार' प्रदान किया है।
- लवण प्रभावित मृदा में कृषि एवं बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आईसीएआर-सीएसएसआरआई-सीएसआर ग्रो-स्योर एक बायो-स्मार्ट बायो-कंसोर्टिया की तकनीक का व्यवसायीकरण किया गया।
- भाकृअनुप-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में अप्रत्यक्ष ईलीसा (ईएलआईएसए) द्वारा विकसित संक्रामक ब्रोंकैटिस के लिए रीकाम्बीनेंट एंटीजेन आधारित सेरो-डायग्नोसिस तथा संक्रामक बर्सल रोग के लिए रीकाम्बीनेंट एंटीजेन आधारित सेरो-डायग्नोसिस प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण किया गया।

एग्रीनोवेट की प्रचार गतिविधियां

एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उनके टीम के स्थायी और निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप कंपनी के लिए व्यवसायिक अवसरों का विस्तार हुआ।

- एग्रीनोवेट ने मक्के के संकर और प्रौद्योगिकियों पर वर्चुअल मोड के माध्यम से एक दिवसीय संस्थान उद्योग इंटरफेस का आयोजन किया।
- एग्रीनोवेट ने आईआईएसईआर, मोहाली (01.07.2021) द्वारा आयोजित वेबिनार में कृषि प्रौद्योगिकियों और इनक्यूबेशन गतिविधियों के व्यावसायीकरण को प्रमोट किया।
- एग्रीनोवेट ने 21 अगस्त, 2021 को 'केला मूल्य श्रंखला, विपणन और नए व्यवसाय क्षितिज' पर आयोजित एक वेबिनार में इसके पास उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकियों और स्टार्ट-अप एवं उद्यमियों के समर्थन हेतु विभिन्न सरकारी पहलों को प्रस्तुत किया।
- एग्रीनोवेट ने 19 सितंबर, 2021 को पशु आनुवंशिकी और प्रजनन विभाग, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन महाविद्यालय, मऊ में पशुधन क्षेत्र में आईपीआर और प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण की अवधारणा को प्रोत्साहित किया।

इनके अलावा, कई प्रतिष्ठित निकायों ने नीतिगत विचार-विमर्श और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए एग्रीनोवेट को एक विषेशज्ञ के रूप में आमंत्रित किया। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

- ओडिशा कॉर्पोरेट फाउंडेशन द्वारा आयोजित "वाणिज्यिक कृषि के माध्यम से उद्यमिता विकास" पर वेबिनार में एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधा मैसूर को मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। वेबिनार कार्यक्रम की श्रृंखला एग्रीनोवेट द्वारा प्रायोजित है।

- सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बैंगलोर ने एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधा मैसूर को प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण और इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना विषय पर पारस्परिक चर्चा एवं जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आमंत्रित किया।
- एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कृषि प्रौद्योगिकियों पर यूएनजीसीएनआई प्रथम वैश्विक सीईओ राउंड टेबल में एक पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था।
- एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निट्टे विश्वविद्यालय, मैंगलोर में कृषि एवं उद्योग जगत के साथ एक संवादात्मक सत्र के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।
- एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीएआर के नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन फंड के एग्री बिजनेस इन्क्यूबेटर्स की समीक्षा में विशेष आमंत्रित सदस्य थे।

प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण के माध्यम से राजस्व में योगदान

वर्ष 2021-22 के दौरान, एग्रीनोवेट ने भाकृअनुप के अनेक संस्थानों से प्रभावी ढंग से सहयोग किया और लगभग 114 तकनीकों को स्थानांतरित करने में मदद की, जिससे 5.33 करोड़ रुपये का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। इन प्रौद्योगिकियों में फसल विज्ञान (35%), डेयरी और पशु चिकित्सा विज्ञान (14%), बागवानी (45%) और मत्स्य पालन (6%) का योगदान है।

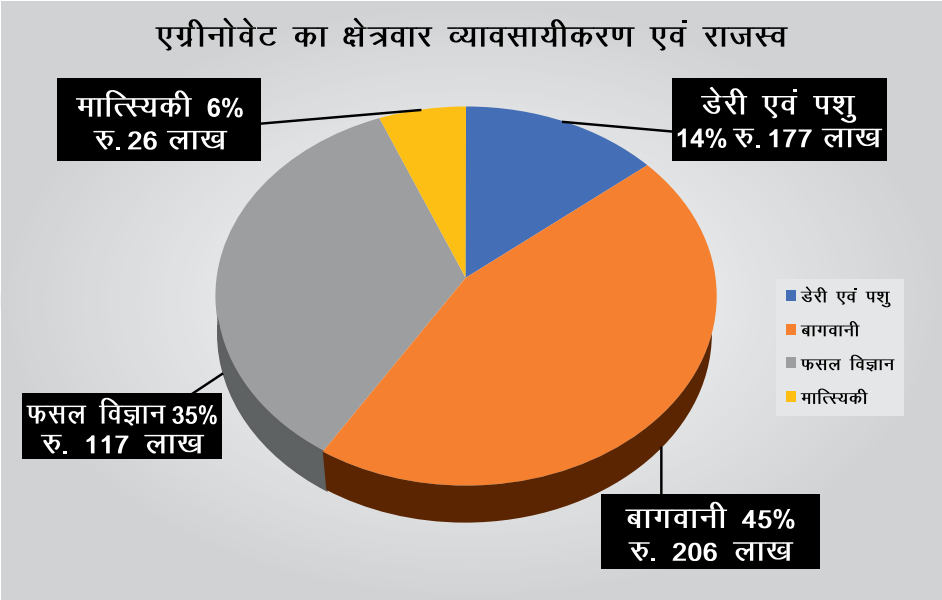

एग्रीनोवेट द्वारा भाकृअनुप के और अधिक संस्थानों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है और इस प्रकार व्यवसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी बेस का विस्तार किया जा रहा है और इस प्रयास को नीचे दिए गए पाई आरेख में देखा जा सकता है, कि एक वर्ष के भीतर लाइसेंसिंग के लिए उपलब्ध तकनीकों की संख्या 582 से अधिक हो गई है।

कम्पनी का वेब पता

धारा 92 के उप खंड (3) में संदर्भित कंपनी का वार्षिक रिटर्न www.agrinnovateindia.co.in पर रखा गया है।

लाभांश

निदेशकों ने विचाराधीन वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

आरक्षित निधि में स्थानांतरित राशि

कंपनी के बोर्ड ने 22.61 करोड़ रुपयों को आरक्षित निधि में देने का प्रस्ताव किया है।

निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

पिछले वर्ष की निदेशकों की रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, डेयर के सचिव श्री त्रिलोचन महापात्र को कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। साथ ही, श्री संजय गर्ग, अपर सचिव, डेयर और सचिव, भाकृअनुप को 02 सितम्बर, 2021 से कंपनी के अपर निदेशक और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

इसके अलावा डॉ. के. श्रीनिवास, नए सहायक महानिदेशक (बौद्धिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन) को 8 जुलाई 2021 से कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री संजीव कुमार (अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार) को 25 फरवरी 2022 से कंपनी के एक अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, श्री संजीव कुमार ने अपना प्रभार छोड़ने के परिणामस्वरूप 1 जून, 2022 को कंपनी से इस्तीफा दे दिया।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड को स्थापित करने वाले कैबिनेट नोट के अनुपालन में, श्री जी. के. नागराज और श्री आनंद मोहन अवस्थी को 25 फरवरी 2022 से कंपनी के बोर्ड में गैर-सरकारी (अपर) निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अन्य निदेशक वही रहें अर्थात डॉ. अशोक दलवाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनआरएए और डॉ. प्रवीण मलिक, पशुपालन आयुक्त।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) और धारा 203 के प्रावधानों और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 (किसी भी वैधानिक संशोधन सहित) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) निम्नानुसार हैं -

क्र.सं.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	पदनाम
1	डॉ. सुधा मैसूर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2	श्री सौरभ मुनि	मुख्य वित्तीय अधिकारी
3	सुश्री धृति मदान	कम्पनी सचिव

बोर्ड बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की पांच बैठकें आयोजित हुई जिनका विवरण निम्नानुसार है :

बैठक की तिथि	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
08.07.2021	3
02.09.2021	4
26.11.2021	4
14.02.2022	5
25.02.2022	4

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

जब कभी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होगी तब उनकी घोषणा ली जाएगी और निदेशकों की रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाएगा।

वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 ('द एक्ट') की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुपालन में, फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न के सार को रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

सांविधिक लेखा परीक्षक, उनकी रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

मैसर्स एससी वर्मा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। मैसर्स जगदीश चंद एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नोएडा, उत्तर प्रदेश को वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

अनुसूचियों पर टिप्पणियों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई टिप्पणी या योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, जिसके लिए आगे कोई और टिप्पणी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और खातों पर टिप्पणियां स्व-व्याख्यात्मक हैं और आगे कोई टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के साथ पठित धारा 394 (1) के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की जाएगी और उनके पारिश्रमिक को कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में निर्धारित किया जाना है।

धारा 143 की उप धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण

मैसर्स एस.सी. वर्मा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी में कोई धोखाघड़ी नहीं हुई है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 204 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के संदर्भ में गाजियाबाद के कंपनी सचिव मैसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स को कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति और डीपीई से संबंधित अनुपालन जैसी कुछ टिप्पणियां दी हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के संदर्भ में, निदेशक यह बताना चाहेंगे कि यह टिप्पणी की गई है कि कंपनी नियम 2014 की धारा 149 और नियम 4 (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) के अनुसार, कंपनी ने अभी तक किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। इस संबंध में निदेशक यह बताना चाहेंगे कि कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया सार्वजनिक उद्यम विभाग के साथ चल रही है।

उपरोक्त के अलावा प्रबंधन डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर कार्य कर रहा है और उसका कार्यान्वयन कर रहा है। अन्य टिप्पणियों को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 (1) के उल्लेख अनुसार संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन

वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं की गई हैं।

नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित किए गए महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण, जो कंपनी की स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं।

वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा कंपनी के संचालन की स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

क) डॉ. अशोक दलवाई - अध्यक्ष
ख) डॉ. प्रवीण मलिक - सदस्य
ग) डॉ. के. श्रीनिवास - सदस्य

लेखा परीक्षा समिति के पास कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी होगी ताकि वित्तीय विवरण के सही, पर्याप्त और विश्वसनीय होने; अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रबंधन के साथ समीक्षा; आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता की समीक्षा करना जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के प्रमुख अधिकारी की स्टाफ और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखा परीक्षा की आवृत्ति शामिल है;

आंतरिक लेखा परीक्षकों से किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर विचार-विमर्श और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जा सके।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं :

1. डॉ. अशोक दलवाई, अध्यक्ष
2. डॉ. प्रवीण मलिक, सदस्य
3. डॉ. के. श्रीनिवास, सदस्य

नामांकन और पारिश्रमिक समिति को निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करने और निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक से संबंधित एक नीति की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है; जिसमें पारिश्रमिक का स्तर और संरचना उचित और पर्याप्त है, प्रदर्शन एवं पारिश्रमिक का संबंध स्पष्ट है और प्रदर्शन बेंचमार्क को पूरा करता है और इसमें निश्चित और प्रोत्साहन वेतन के बीच संतुलन शामिल है; हर निदेशक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए और प्रदर्शन आदि के आधार पर बोर्ड को उसकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश सुनिश्चित करना शामिल है।

धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

ऋणों का विवरण

क्र. सं.	ऋण की तारीख	ऋण लेने वाले का नाम	राशि	प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण उपयोग का उद्देश्य	ऋण कितनी अवधि के लिए दिया गया है	बीआर की तारीख	एसआर की तारीख (यदि आवश्यक हो)	ब्याज की दर	जमानत
			शून्य						

निवेश का विवरण :

क्र. सं.	निवेश की तारीख	निवेशक का विवरण	राशि	जिस उद्देष्य के लिए निवेश से प्राप्त राशि को प्राप्तकर्ता द्वारा उपयोग करने का प्रस्ताव है	बीआर की तारीख	एसआर की तारीख (यदि आवश्यक हो)	अनुमानित आय की दर
			शून्य				

दी की गई गारंटी/जमानत का विवरण

क्र. सं.	दी गई गारंटी/ जमानत की तारीख	प्राप्तकर्ता का विवरण	राशि	जिस उद्देष्य के लिए दी गई गारंटी/ जमानत को प्राप्तकर्ता द्वारा उपयोग करने का प्रस्ताव है	बीआर की तारीख	एसआर की तारीख (यदि आवश्यक हो)	कमीशन
			शून्य				

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी को अपनाना, विदेशी मुद्रा आय और व्यय। ऊर्जा, प्रौद्योगिकी को अपनाना, विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण निम्नानुसार है :

क) ऊर्जा संरक्षण :

संरक्षण के लिए उठाए गए कदम	लागू नहीं
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम	लागू नहीं
ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	लागू नहीं

ख) प्रौद्योगिकी को अपनाना

प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए किए गए प्रयास	लागू नहीं
व्युत्पन्न लाभ	लागू नहीं
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय, यदि कोई हो	लागू नहीं
आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं
आयात का वर्ष	लागू नहीं
क्या आयातित तकनीक पूरी तरह से अपना ली गई है	लागू नहीं
ऐसे क्षेत्र जहां आयातित प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाया गया है, यदि कोई हो	लागू नहीं

ग) विदेशी मुद्रा आय/व्यय

आय	शून्य
व्यय	शून्य

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप हैं।

जमा

आपकी कंपनी ने कोई सावधिक जमा स्वीकार नहीं किया है और इस प्रकार, तुलन पत्र की तारीख पर मूलधन या ब्याज की कोई राशि बकाया नहीं थी।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन क्रमांक सीएसआर-15/0008/2014 - डीआईआर (सीएसआर) दिनांक 23/01/2017 के माध्यम से सूचित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मंत्री (एचआई एंड पीई) के अनुमोदन से सीएसआर के लिए डीपीई दिशा-निर्देश वापस ले लिए गए हैं और यह भी सुझाव दिया गया है कि कंपनी भविष्य में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर गतिविधियां करे।

वर्तमान में, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधान एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड पर लागू नहीं हैं।

यौन उत्पीड़न रोकथाम नीति

कंपनी अपने कर्मचारियों को एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, कंपनी ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता रखती है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण की नीति अपनाई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए यौन उत्पीड़न की शिकायतों का सारांश निम्नलिखित है।

प्राप्त शिकायतों की संख्या : शून्य

निपटाई गई शिकायतों की संख्या : शून्य

निदेशकों के उत्तरदायित्वों का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

क) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में, भौतिक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया था;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन और उन्हें लगातार कार्यान्वित किया था और निर्णय और आकलन किए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च 2022 को कंपनी के कार्यों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ/हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी भरती थी;

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किया था;

ड.) वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति के साथ-साथ वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत कोई आवेदन या कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

च) एकमुश्त निपटान (वन टाइम सेटलमेंट) के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का कोई मामला नहीं है।

छ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह भी सुनिश्चित किया कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

आभार

आपके निदेशकगण सभी स्तरों के कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं और अकादमिक भागीदारों के प्रति आभारी हैं जिन्होंने कंपनी के विकास और प्रदर्शन में, विशेष रूप से वर्तमान महामारी की स्थिति के दौरान योगदान और निरंतर समर्थन दिया है।

हम भारत सरकार, विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को भी एग्रीनोवेट की गतिविधियों में शामिल होकर उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।

आपके निदेशकों को कोविड-19 महामारी के कारण हमारे कई बंधुओं के जीवन की क्षति पर खेद है और वे इस महामारी से लड़ने के लिए अपने जीवन और सुरक्षा को जोखिम में डालने वाले हर एक व्यक्ति के प्रति अत्यंत आभारी और उनका बहुत सम्मान करते हैं।

आपके निदेशकगण इस अवसर पर बोर्ड के वर्तमान और पूर्व सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त करते हैं। हम कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार, आईसीएआर, सांविधिक और साथ ही कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, सीएजी के अधिकारियों और कम्पनी के बैंकरों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

त्रिलोचन महापात्र
अध्यक्ष और निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जुलाई, 2022

फार्म सं. एमजीटी 9
वार्षिक विवरणी का सार
31.03.22 को समाप्त वित्तीय वर्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार।

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

i	सीआईएन	U01400DL2011GOI226486
ii	पंजीकरण का दिनांक	19/10/2011
iii	कम्पनी का नाम	एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
iv	कम्पनी का वर्ग/उप-वर्ग	सरकारी सार्वजनिक कम्पनी
v	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण	जी-2, 'ए' ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली
vi	क्या यह सूचीबद्ध कम्पनी है	नहीं
vii	पंजीकार एवं ट्रांसफर एजेन्ट का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं

II. कम्पनी की प्रमुख व्यवसाय गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाएगा

क्र सं	मुख्य गतिविधि समूह कोड	मुख्य गतिविधि का नाम एवं विवरण	व्यावसायिक गतिविधि कोड	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	कम्पनी के कुल टर्नओवर में प्रतिशत
1.	ए	कृषि	ए 4	प्रणाली में सृजित बौद्धिक संपदाओं का संरक्षण और प्रबंधन करना और सार्वजनिक लाभ के लिए इनका व्यावसायीकरण/ वितरण करना।	शून्य
2.	ए	कृषि	ए 4	कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की उत्पाद प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों का उत्पादन, विपणन, लोकप्रियकरण करना नामत: बीज, रोपण सामग्री, टीके, निदान, कई अन्य जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद, अन्य मूल्य वर्धित इनपुट और उत्पाद, कृषि उपकरण और मशीनरी, अन्य प्रौद्योगिकियां आदि।	100%

3.	एम	व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी	एम 3	आईसीएआर के कुशल सेवाओं का पेशेवर विस्तार करना, जैसे परामर्श, अनुबंध अनुसंधान, अनुबंध सेवा, अनुकूलित क्षमता निर्माण, आदि।	0%
4.	ए	कृषि	ए 4	भारत के बाहर, विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अनुसंधान और उत्पादन फार्म स्थापित करना। विभिन्न कार्यशालाओं और प्रगति के माध्यम से संस्कृति निर्माण पहल के हिस्से के रूप में वैश्विक ब्रांड निर्माण पहल प्रारम्भ करना।	0%
5.	एम	व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी	एम 3	विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि अभियांत्रिकी, आदि में उत्पादन और प्रसंस्करण संयंत्रों पर टर्नकी परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।	0%
6.	ए	कृषि	ए 4	कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा और अन्य क्षमता निर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का सृजन	0%
7.	एम	व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी	एम 3	मांग-संचालित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रबंधन के साथ कृषि विज्ञान में दक्षताओं को एकीकृत करने हेतु गतिविधियों जैसे बाजार जानकारी, मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन के मुद्दे को संचालित करने के लिए	0%

III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र सं.	कम्पनी का नाम एवं पता	सीआईएन / जीएलएन	होल्डिंग/ सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1.	शून्य				

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेक अप कुल इक्विटी में प्रतिशत)

क्र. स.	शेयर धारकों का वर्ग	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान बदलाव का प्रतिशत
		डीमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क.	**प्रमोटर्स**									
1.	भारतीय			शून्य				शून्य		
	क) व्यक्ति (भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में)	शून्य	60	60	0	शून्य	60	60	0	
	ख) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार	शून्य	4,99,99,940	4,99,99,940	100	शून्य	4,99,99,940	4,99,99,940	100	शून्य
	ग) निगमित निकाय			शून्य				शून्य		
	घ) बैंक/ एफआई			शून्य				शून्य		
	ङ) अन्य कोई			शून्य				शून्य		
	उप योग : (क) (1)									
2	विदेशी									
	क) एनआरआई - व्यक्ति			शून्य				शून्य		शून्य
	ख) अन्य - व्यक्ति			शून्य				शून्य		
	ग) निगमित निकाय			शून्य				शून्य		
	घ) बैंक/ एफआई			शून्य				शून्य		
	ङ) अन्य कोई			शून्य				शून्य		
	उप योग (क) (2)									
	प्रमोटरों का कुल शेयर होल्डिंग क= (क) (1)+(क) (2)									
ख.	**पब्लिक शेयर होल्डिंग**									
1.	**संस्थाएं**									
	क) म्यूचल फंड्स			शून्य				शून्य		शून्य
	ख) बैंक/एफआई			शून्य				शून्य		
	ग) केन्द्र सरकार			शून्य				शून्य		
	घ) राज्य सरकार			शून्य				शून्य		

	ङ) वेंचर कैपिटल फंड			शून्य				शून्य		
	च) बीमा कम्पनियां			शून्य				शून्य		
	छ) एफआईआईएस			शून्य				शून्य		
	ज) फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड्स			शून्य				शून्य		
	ज) अन्य (स्पष्ट करें)			शून्य				शून्य		
	उप योग (ख) (1)									
2.	**गैर-संस्थाएं**									
	क) निगमित निकाय			शून्य				शून्य		शून्य
	i) भारतीय			शून्य				शून्य		
	ii) विदेशी			शून्य				शून्य		
	ख) व्यक्ति			शून्य				शून्य		
	i) 1 लाख रुपये तक की मामूली शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक			शून्य				शून्य		
	ii) 1 लाख रुपये से अधिक की मामूली शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक			शून्य				शून्य		
	ग) अन्य (स्पष्ट करें)			शून्य				शून्य		
	उप योग (ख) (2)									
	कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग (ख)=(ख) (1)+(ख) (2)			शून्य				शून्य		शून्य
	सी) जीडीआर एवं एडीआर के कस्टोडियन द्वारा शेयर होल्डिंग			शून्य				शून्य		शून्य
	सकल योग (क+ख+ग)			5,00,00,000				5,00,00,000		शून्य

बी) प्रमोटरों का शेयर होल्डिंग

क्र सं.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में बदलाव का प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में प्रतिशत	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में प्रतिशत	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	
1	श्री ए. जी. सुब्रामणियन के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	4,99, 99,940	99.99988	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	डॉ. टी. महापात्र	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	श्री एस. के. उपाधयाय	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	श्री प्रेम प्रकाश मौर्य	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	श्री राजेश कुमार	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	श्री शालीन अग्रवाल	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	श्री जितेन्द्रा मिश्रा	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

प्रमोटरों के शेयर होल्डिंग में बदलाव (यदि कोई बदनाव नहीं है तो निर्दिष्ट करें)

	वर्ष के प्रारम्भ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में प्रतिशत
वर्ष के प्रारम्भ में	5,00,00,000	100	5,00,00,000	100
वर्ष के दौरान प्रमोटरों के शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/घटती, कारणों का उल्लेख करें (एलॉटमेंट / ट्रांसफर/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत मे	5,00,00,000	100	5,00,00,000	100

वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			
शीर्ष के 10 शेयर होल्डरों में से प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में प्रतिशत	शेयरों की संख्या
वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य		
वर्ष के दौरान प्रमोटरों के शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/घटती, कारणों का उल्लेख करें (एलॉटमेंट / ट्रांसफर/ बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में (या अलगाव की तिथि पर, यदि अलगाव वर्ष के दौरान हो तो)	शून्य	शून्य	शून्य
निदेशकों एवं केएमपी के शेयर होल्डिंग - शून्य			

	वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग		**वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग**	
प्रत्येक निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कम्पनी के कुल शेयरों में प्रतिशत**	**शेयरों की संख्या**	**कम्पनी के कुल शेयरों में प्रतिशत**
वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य			
वर्ष के दौरान प्रमोटरों के शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/घटती, कारणों का उल्लेख करें (एलॉटमेंट / ट्रांसफर/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि				
वर्ष के अंत में	शून्य			

I. ऋणग्रस्तता — लागू नहीं

कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें बकाया ब्याज/उपार्जित ब्याज परन्तु भुगतान के लिए देय नहीं, सम्मिलित है।				
	सुरक्षित ऋण, जमा छोड़कर	**असुरक्षित ऋण**	**जमा (डिपोजिट)**	**कुल ऋण ग्रस्तता**
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि		शून्य	शून्य	
ii) ब्याज देय परन्तु भुगतान नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
iii) उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल योग (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव				
जोड़	शून्य	शून्य	शून्य	
घटाव	शून्य	शून्य	शून्य	
शुद्ध बदलाव			शून्य	
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	

ii) ब्याज देय परन्तु भुगतान नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
iii) उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
योग (i+ii+iii)				

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक: लागू नहीं

क्र सं.	पारिश्रमिक का विवरण		प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1.	**सकल वेतन**			
	क) आयकर की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	लागू नहीं		
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अनुसार अनुलब्धियों का मूल्य	लागू नहीं		
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ का अंश	लागू नहीं		
2	स्टॉक का विकल्प	लागू नहीं		
3	स्वेट इक्विटी	लागू नहीं		
4	लाभ के प्रतिशत के रूप में कमिशन	लागू नहीं		
		लागू नहीं		
	अन्य (स्पष्ट करें)	लागू नहीं		
5	अन्य (स्पष्ट करें)	लागू नहीं		
	कुल (ए)	**लागू नहीं**		
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा			

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक : लागू नहीं

पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम			कुल राशि
1 स्वतंत्र निदेशकगण				
क) बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	
ख) कमिशन	शून्य	शून्य	शून्य	
ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
योग (1)				
2 अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकगण	श्री आनन्द मोहन अवस्थी	श्री जी. के. नागराज	-	10,000
क) बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	

ख) कमिशन	शून्य	शून्य	शून्य	
ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
योग (2)				
योग (बी)=(1+2)				10,000
कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	
अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा				

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम**				**कुल**
1.	सकल वेतन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	कुल	
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	51,40,595	7,20,000	-	58,60,595	
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अनुसार अनुलब्धियों का मूल्य		शून्य	शून्य		
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ का अंश	शून्य	शून्य	शून्य		
2.	स्टॉक का विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य		
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य		
4.	लाभ के प्रतिशत के रूप में कमिशन अन्य (स्पष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य		
5.	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य		
	कुल	**51,40,595**	**7,20,000**	**शून्य**	**58,60,595**	

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों का कंपाउंडिंग

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना / दंड / लगाया गया कंपाउंडिंग शुल्क	प्राधिकार (आरडी / एनसीएलटी / कोर्ट)	की गई अपील, यदि हो तो (विवरण दें)
क. कम्पनी					
जुर्माना	शून्य				
दंड	शून्य				
कंपाउंडिंग	शून्य				
ख. निदेशकगण					
जुर्माना	शून्य				
दंड	शून्य				
कंपाउंडिंग	शून्य				
ग. डिफाल्ट में अन्य अधिकारी					
जुर्माना	शून्य				
दंड	शून्य				
कंपाउंडिंग	शून्य				

अध्यक्ष की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

मुझे 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हमारी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है और हमारी कंपनी एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (एजीआईएन) की ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पहले ही परिचालित की जा चुकी है और आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूँ।

यह देखकर मुझे बहुत संतोष होता है कि बोर्ड की विभिन्न बैठकों के दौरान हमने जिन विचारों की कल्पना की थी, उन्हें टीम द्वारा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है और मुझे आने वाले वर्ष में और भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। मैं वर्ष के दौरान उनके प्रदर्शन के लिए टीम, एग्रीनोवेट इंडिया की सराहना करता हूं।

मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि आईसीएआर और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) के तहत संस्थानों के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण के दिशा-निर्देशों को अंततः एग्रीनोवेट के साथ सामंजस्य बिठाया गया है, जिससे सभी विषय क्षेत्रों/क्षेत्रों में व्यवसायीकरण के दायरे का विस्तार हुआ है। अब हम साझेदारी के माध्यम से नवाचार और क्षमता संचालित कृषि विकास को बढ़ाने और उत्प्रेरित करने के नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक निश्चित स्थिति में हैं।

हस्तांतरित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां

एग्रीनोवेट के प्रयासों से विभिन्न निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और किसानों सहित व्यक्तिगत उद्यमियों को लगभग 114 प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में सहायता मिली है, जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां शामिल हैं -

- आईसीएआर-आईवीआरआई द्वारा विकसित सीएसएफ एवं शीप पॉक्स वैक्सीन प्रौद्योगिकी को स्थानीय उत्पादन और वैश्विक विपणन के लिए मैसर्स हेस्टर बायोसाइंसेस को हस्तांतरित किया गया है।
- एग्रीनोवेट ने केले के घातक पनामा विल्ट रोग के खिलाफ जैव कीटनाशक तकनीक 'आईसीएआर-"यूजीकांट' को स्थानीय उत्पादन और वैश्विक विपणन के लिए 'गैर-अनन्य अधिकार' प्रदान किया है।
- लवण प्रभावित मृदाओं में कृषि और बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आईसीएआर-सीएस एसआरआई-सीएसआर ग्रो-स्योर एक बायो-स्मार्ट बायो-कंसोर्टिया तकनीक का व्यवसायिकरण किया गया।
- भाकृअनुप-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में अप्रत्यक्ष ईलीसा (ईएलआईएसए) द्वारा विकसित संक्रामक ब्रोंकैटिस के लिए रीकाम्बीनेंट एंटीजेन आधारित सेरो-डायग्नोसिस तथा संक्रामक बर्सल रोग के लिए रीकाम्बीनेंट एंटीजेन आधारित सेरो-डायग्नोसिस प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण किया गया।

एग्रीनोवेट इंडिया की प्रचार गतिविधियां

एग्रीनोवेट की प्रचार गतिविधियां

एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उनके टीम के स्थायी और निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप कंपनी के लिए व्यवसायिक अवसरों का विस्तार हुआ।

- एग्रीनोवेट ने मक्के के संकर और प्रौद्योगिकियों पर वर्चुअल मोड के माध्यम से एक दिवसीय संस्थान उद्योग इंटरफेस का आयोजन किया।
- एग्रीनोवेट ने आईआईएसईआर, मोहाली (01.07.2021) द्वारा आयोजित वेबिनार में कृषि प्रौद्योगिकियों

और इनक्यूबेशन गतिविधियों के व्यवसायीकरण को प्रमोट किया।

- एग्रीनोवेट ने 21 अगस्त, 2021 को 'केला मूल्य श्रंखला, विपणन और नए व्यवसाय क्षितिज' पर आयोजित एक वेबिनार में इसके पास उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकियों और स्टार्ट-अप एवं उद्यमियों के समर्थन हेतु विभिन्न सरकारी पहलों को प्रस्तुत किया।
- एग्रीनोवेट ने 19 सितंबर, 2021 को पशु आनुवंशिकी और प्रजनन विभाग, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन महाविद्यालय, मऊ में पशुधन क्षेत्र में आईपीआर और प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण की अवधारणा को प्रोत्साहित किया।

इनके अलावा, कई प्रतिष्ठित निकायों ने नीतिगत विचार-विमर्श और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए एग्रीनोवेट को एक विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

- ओडिशा कॉर्पोरेट फाउंडेशन द्वारा आयोजित ''वाणिज्यिक कृषि के माध्यम से उद्यमिता विकास'' पर वेबिनार में एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधा मैसूर को मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। वेबिनार कार्यक्रम की श्रृंखला एग्रीनोवेट द्वारा प्रायोजित है।
- सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बैंगलोर ने एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधा मैसूर को प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण और इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना विषय पर पारस्परिक चर्चा एवं जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आमंत्रित किया।
- एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कृषि प्रौद्योगिकियों पर यूएनजीसीएनआई प्रथम वैश्विक सीईओ राउंड टेबल में एक पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था।
- एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निट्टे विश्वविद्यालय, मैंगलोर में कृषि एवं उद्योग जगत के साथ एक संवादात्मक सत्र के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।
- एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीएआर के नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन फंड के एग्री बिजनेस इन्क्यूबेटर्स की समीक्षा में विशेष आमंत्रित सदस्य थे।

प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण के माध्यम से राजस्व में योगदान

वर्ष 2021-22 के दौरान, एग्रीनोवेट ने आईसीएआर के कई संस्थानों को प्रभावी ढंग से मार्गदर्शी सहायता प्रदान की है और कुल लगभग 114 प्रौद्योगिकियों को हस्थानांतरित करने में सहायता की, जिससे 5.33 करोड़ रुपए का सकल राजस्व प्राप्त हुआ। ये प्रौद्योगिकियां फसल विज्ञान (35%), डेयरी और पशु चिकित्सा विज्ञान (14%) और बागवानी (45%) और मात्स्यिकी (6%) से सम्बंधित हैं।

आईसीएआर के और संस्थानों को शामिल करने के लिए एग्रीनोवेट इंडिया द्वारा प्रयास किया जा रहा है ताकि व्यवसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी बेस का विस्तार किया जा सके और इस प्रयास को नीचे पाई आरेख में देखा जा सकता है कि लाइसेंस के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को एक वर्ष के भीतर 582 से अधिक तक बढ़ाया गया है।

वित्तीय उपलब्धियां

कंपनी ने प्रचालन से पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के रू 3.91 करोड़ की तुलना में चालू वर्ष में रू 5.33 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है। चालू वर्ष के दौरान रू 0.04 का मूल्यह्रास दर्ज किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 2020-21 में यह रू 0.05 करोड़ था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के रू 1.39 करोड़ के शुद्ध लाभ की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में रू 1.54 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वर्ष 2021-22 में प्रति व्यवसाय प्रबंधन राजस्व 97 लाख रुपए से बढ़कर 133.37 लाख रुपए हो गया है।

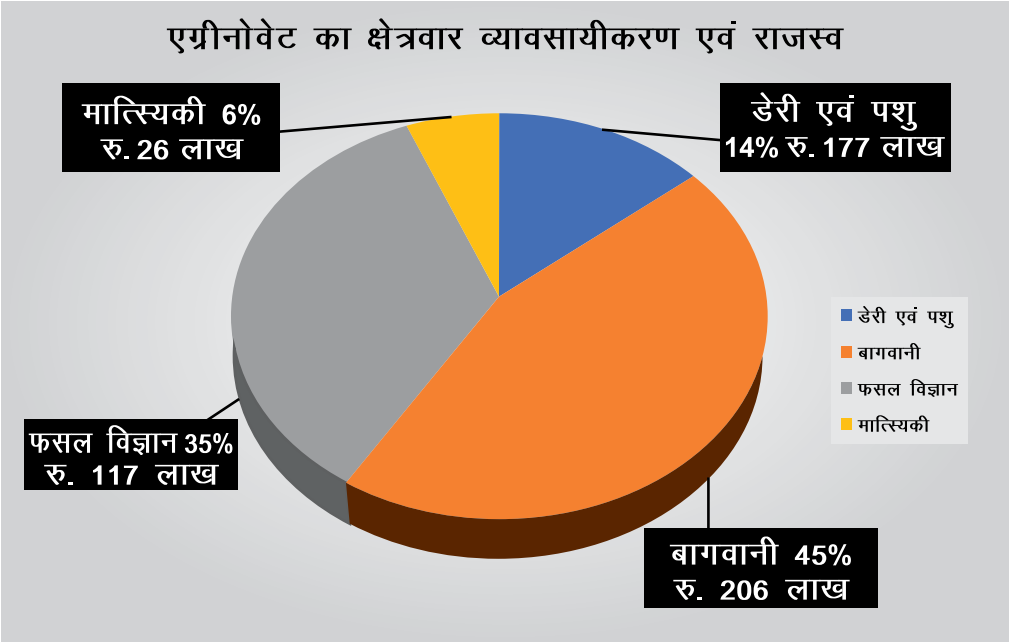

आभार

आपके निदेशकगण सभी स्तरों के कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं और अकादमिक भागीदारों के प्रति आभारी हैं जिन्होंने कंपनी के विकास और प्रदर्शन में योगदान और निरंतर समर्थन दिया है।

हम भारत सरकार, विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को भी एग्रीनोवेट की गतिविधियों में शामिल होकर उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।

आपके निदेशकों को कोविड-19 महामारी के कारण हमारे कई बंधुओं के जीवन की क्षति पर खेद है और वे इस महामारी से लड़ने के लिए अपने जीवन और सुरक्षा को जोखिम में डालने वाले हर एक व्यक्ति के प्रति अत्यंत आभारी और उनका बहुत सम्मान करते हैं।

आपके निदेशकगण इस अवसर पर बोर्ड के वर्तमान और पूर्व सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त करते हैं। हम कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार, आईसीएआर, सांविधिक और साथ ही कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, सीएजी के अधिकारियों और कम्पनी के बैंकरों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

धन्यवाद
शुभेच्छु,

डॉ. टी. महापात्र
अध्यक्ष और निदेशक
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जुलाई, 2022

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

दिनांक 31 मार्च, 2022 को तुलन-पत्र (बैलेंस शीट)

(रूपये सैकड़ों में)

	विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
I	**इक्विटी और देयताएं**			
	शेयर धारकों की निधियां			
(क)	शेयर पूंजी	2	50,00,000	50,00,000
(ख)	संरक्षित और अधिषेश	3	22,60,815	21,06,705
(2)	**वर्तमान देयताएं**			
(क)	व्यापार देय	4	6,64,728	3,08,922
(ख)	अन्य वर्तमान देयताएं	5	26,536	16,176
(ग)	अल्पकालिक प्रावधान	6	17,709	15,014
	कुल		**79,69,789**	**74,46,817**
II	**परिसंपत्तियां**			
	गैर-वर्तमान स्पत्तियां			
(क)	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	7 क	15,231	18,806
(ख)	अमूर्त परिसंपत्तियां	7 ख	83	83
(ग)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	17	6,655	7,183
(2)	**वर्तमान परिसंपत्तियां**			
(क)	व्यापार प्राप्य	8	69	-
(ख)	नकद और नकद समकक्ष	9	77,28,953	72,08,222
(ग)	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	10	2,18,798	2,12,523
	कुल		**79,69,789**	**74,46,817**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		1		

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का आन्तरिक भाग बनाता है।

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
(एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी)
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या: 000533 एन

निदेशक मण्डल की ओर से
(एग्रीनोवेट (AgIn) इंडिया लि.)

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार :
सदस्यता संख्या: 011450

(कोंडापी श्रीनिवास)
निदेशक
डीआईएन: 09230147

(त्रिलोचन महापात्र)
निदेशक
डीआईएन: 07556629

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.07.2022

(सुधा मैसूर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
PAN:ABNPS0707N

(धृति मदान)
कम्पनी सचिव
A-27642

(सौरभ मुनि)
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : AWKPM3684Q

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(राशि रूपये में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
संचालन से राजस्व	11	5,33,443	3,90,575
अन्य आय	12	2,81,135	3,06,315
कुल राजस्व		**8,14,578**	**6,96,890**
व्यय:			
कर्मचारी हितों से संबंधित खर्च	13	1,27,935	1,22,218
वित्तीय लागत	14	49	111
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	15	3,575	4880
अन्य व्यय	16	4,77,001	3,83,968
कुल व्यय		**6,08,560**	**5,11,176**
टैक्स से पहले लाभ		2,06,018	1,85,713
	17		
टैक्स व्यय:			
(1) वर्तमान वर्ष		51380	46318
(2) आस्थगित कर		528	422
वर्ष के लिए लाभ		1,54,110	1,38,973
(1) बेसिक		0.31	0.28
(2) डेल्यूटेड		0.31	0.28
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का आन्तरिक भाग बनाता है।

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
(एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी)
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या: 000533 एन

निदेशक मण्डल की ओर से
(एग्रीनोवेट (AgIn) इंडिया लि.)

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार :
सदस्यता संख्या: 011450

(कोंडापी श्रीनिवास)
निदेशक
डीआईएन: 09230147

(त्रिलोचन महापात्र)
निदेशक
डीआईएन: 07556629

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.07.2022

(सुधा मैसूर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
PAN:ABNPS0707N

(धृति मदान)
कम्पनी सचिव
A-27642

(सौरभ मुनि)
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : AWKPM3684Q

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
क. परिचालन गतिविधियों से कैश फ्लो		
टैक्स से पहले शुद्ध लाभ/(हानि)	2,06,018	1,85,713
समायोजन के लिए:		
मूल्य ह्रास	3,575	4,880
ब्याज आय	(2,80,815)	(3,05,663)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/हानि	**(71,222)**	**(1,15,070)**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:		
परिचालन संपत्तियों में कमी/(वृद्धि) के लिए समायोजन:		
व्यापार प्राप्य	(69)	-
अन्य वर्तमान संपत्तियां	(6,275)	2,40,376
परिचालन देयताओं में कमी/(वृद्धि) के लिए समायोजन:		
व्यापार देय	3,55,807	1,82,072
अन्य वर्तमान देयताएं	10,360	(11,805)
अल्पावधि प्रावधान	2,695	(40,255)
शुद्ध आयकर (भुगतान)/ रिफंड	(51,380)	(75,789)
परिचालन गतिविधियों से/ (उपयोग में लाए गए) नेट कैश फ्लो (क)	**2,39,916**	**1,79,528**
बी. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो		
सावधिक जमा पर ब्याज	2,80,815	3,05,663
निवेश गतिविधियों से/ (उपयोग में लाए गए) नेट कैश फ्लो (ख)	**2,80,815**	**3,05,663**
सी. वित्तीयन गतिविधियों से कैश फ्लो	-	-
वित्तीयन गतिविधियों से/ (उपयोग में लाए गए) नेट कैश फ्लो (ग)	-	-
नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध बढ़ोत्तरी/घटती (क+ख+ग)	5,20,731	4,85,192
वर्ष के प्रारम्भ में नकद और नकद के समकक्ष	72,08,222	67,23,030
वर्ष के अंत में नकद और नकद के समकक्ष	**77,28,953**	**72,08,222**

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का आन्तरिक भाग बनाता है।

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
(एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी)
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या: 000533 एन

निदेशक मण्डल की ओर से
(एग्रीनोवेट (AgIn) इंडिया लि.)

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार :
सदस्यता संख्या: 011450

(कोंडापी श्रीनिवास)
निदेशक
डीआईएन: 09230147

(त्रिलोचन महापात्र)
निदेशक
डीआईएन: 07556629

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.07.2022

(सुधा मैसूर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
PAN:ABNPS0707N

(धृति मदान)
कम्पनी सचिव
A-27642

(सौरभ मुनि)
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : AWKPM3684Q

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

नोट 1: महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

नोट 1

1.1 कार्पोरेट सूचना

(ए) कंपनी की स्थापना 19 अक्टूबर, 2011 को की गई है। कंपनी, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय के तहत शत प्रतिशत भारत सरकार की कंपनी है।

(बी) श्री सौरभ मुनि भाकृअनुप के कर्मचारी हैं जो कंपनी का कामकाज देखते हैं। इस संबंध में उन्हें या भाकृअनुप को कोई भुगतान नहीं किया जाता है।

(सी) डॉ. सुधा मैसूर भाकृअनुप की कर्मचारी हैं जो कंपनी का कामकाज देखती हैं। आईआईएचआर-बैंगलोर से प्रतिनियुक्ति हेतु वेतन, पेंशन अंशदान और अवकाश वेतन अंशदान के भुगतान का प्रावधान किया जा रहा है।

(डी) कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड रुपये है। जबकि कंपनी की इश्यूड, सब्सक्राइप्ड और पेइड अप शेयर पूंजी 50 करोड़ रुपये है।

लेखांकन और वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं। ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत वित्तीय विवरण उपार्जन के आधार पर तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों की तैयारी में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

1.2 आकलनों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को संपत्ति और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई राशि और वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं।

1.3 नकद और बैंक बैलेंस

कैश का अर्थ कैश ऑन हैंड और विदेशी मुद्रा में कैश है। नकद समतुल्य अल्पकालिक बैलेंस हैं (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के गैर-उल्लेखनीय जोखिम के अधीन हैं।

1.4 मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों और तरीके के अनुसार अवलेखित मूल्य पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान खरीदी गई/निपटान की गई अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर किया गया है।

1.5 पट्टे

पट्टे जहां पट्टेदार प्रभावी रूप से पट्टे पर दी गई वस्तु के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी ढंग से बनाए रखता है, को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेटिंग लीज भुगतान को लीज अवधि के दौरान स्ट्रेट-लाइन आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

1.6 राजस्व मान्यता

ब्याज आय के लिए नीति

फिक्स्ड डिपॉजिट और "लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट पर ब्याज की बकाया राजस्व राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर गणना की गई है।

रॉयल्टी आय के लिए नीति

लाइसेंस समझौते के अनुसार रॉयल्टी की पहचान और नियत आधार पर अर्जित किया जाता है।

लाइसेंस शुल्क के लिए नीति

लाइसेंस शुल्क को मान्यता तब दी जाती है जब लाइसेंस समझौते के अनुसार लाइसेंस को विशेष लाइसेंस का पूरा तकनीकी ज्ञान, प्रदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। लाइसेंस देने के लिए संबंधित व्यय को लाइसेंस की लागत (व्यय) के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की नीति

प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन से प्राप्त राजस्व को संबंधित प्रशिक्षण के पूरा होने पर मान्यता दी जाती है।

1.7 विदेशी मुद्रा लेनदेन और बदलाव

(ए) विदेशी मुद्रा लेनदेन, प्रारंभिक मान्यता पर, लेनदेन की तिथि पर विदेशी मुद्रा राशि विनिमय दर पर लागू करके रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर, विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को समापन दर का उपयोग करके सूचित किया जाता है और गैर-मौद्रिक मदों को विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित ऐतिहासिक लागत पर लेन-देन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके सूचित किया जाता है।

(बी) मौद्रिक मदों के निपटान पर या मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर उन दरों से अलग हैं जिन पर वे वर्ष के दौरान शुरू में दर्ज किए गए थे, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए थे, आय के रूप में या उस वर्ष में व्यय के रूप में दर्शाए जाते हैं जिसमें वे उठते हैं।

1.8 कार्मिक हित

भविष्य निधि और ईएसआईसी के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
चूंकि कंपनी का कोई भी कर्मचारी ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है, अत: 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रेच्युटी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

1.9 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

अचल संपत्तियों को संचित मूल्यह्रास और इम्पेयरमेंट लॉसेस, यदि कोई हो, को घटाकर लागत में दर्शाया जाता है। अचल संपत्तियों की लागत में संपत्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि तक अर्हक अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के कारण उधार पर ब्याज और उस तिथि तक किए गए अन्य आकस्मिक व्यय शामिल हैं। अचल संपत्तियों से संबंधित बाद के व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इस तरह के व्यय के परिणामस्वरूप ऐसी संपत्तियों से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है जो प्रदर्शन के पहले से निर्धारित मानक से परे होती है।

1.10 आय प्रति शेयर

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के कर-पश्चात प्रभाव, यदि कोई हो, सहित) को विभाजित करके की जाती है। मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित व्यय या आय के लिए लाभांश, ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए समायोजित के रूप में कर के बाद लाभ / (हानि) को विभाजित करके (असाधारण मदों के कर के बाद के प्रभाव सहित, यदि कोई हो) को विभाजित करके प्रति शेयर आय की गणना की जाती है। प्रति शेयर बुनियादी आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो सभी मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जा सकती थी।

1.11 आय पर कर

वर्तमान कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर की राशि है।

आस्थगित कर को समय के अंतर पर मान्यता प्राप्त है, कर योग्य आय और लेखा आय के बीच अंतर होने के नाते जो एक अवधि में उत्पन्न होते हैं और एक या अधिक बाद की अवधि में उलटने में सक्षम होते हैं। आस्थगित कर को कर की दरों और रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को सभी समय अंतरों के लिए पहचाना जाता है। अनवशोषित मूल्यह्रास और घाटे को आगे ले जाने के संबंध में आस्थगित कर संपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब आभासी निश्चितता हो कि ऐसी संपत्तियों की वसूली के लिए पर्याप्त भविष्य में कर योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर संपत्तियों को अन्य मदों के समय के अंतर के लिए केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि उचित निश्चितता मौजूद है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध इन्हें महसूस किया जा सकता है। आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है यदि ऐसी वस्तुएं समान शासी कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर कर से संबंधित हैं और कंपनी के पास इस तरह के सेट ऑफ के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है। आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली के लिए प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में समीक्षा की जाती है।

1.12 संपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में परिसंपत्तियों/नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के अग्रणी मूल्यों की हानि के लिए समीक्षा की जाती है। यदि क्षति का कोई संकेत मौजूद है, तो ऐसी संपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और हानि को मान्यता दी जाती है, यदि इन परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। वसूली योग्य राशि शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में उनके मूल्य से अधिक है। उपयुक्त छूट कारक के आधार पर भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट देकर उपयोग में मूल्य प्राप्त किया जाता है। जब यह संकेत मिलता है कि पहले की लेखा अवधि में किसी परिसंपत्ति के लिए मान्यता प्राप्त क्षति/हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो सकती है, तो क्षति/ हानि के इस तरह के उलटाव को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, पुनर्मूल्यांकित संपत्ति के मामले को छोड़कर।

1.13 प्रावधान और आकस्मिकताएं

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों (सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और बैलेंस शीट तिथि पर दायित्वों को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर नोट

नोट : 2 शेयर पूंजी

(शेयर और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर जब कि अन्यथा कहा न गया हो, राशि सौ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1	अधिकृत		
	प्रति 10/- रुपये राशि के 10,00,00,000 (10,00,00,000) शेयर	1,00,00,000	1,00,00,000
2	जारी किए गए, सब्सक्राइब किए गए और भुगतान किए गए	1,00,00,000	1,00,00,000
	प्रति 10 रु. का इक्विटी शेयर 5,00,00,000 (5,00,00,000) पूर्णत: भुगतान किया	50,00,000	50,00,000
	कुल	**50,00,000**	**50,00,000**

(क) इक्विटी शेयर के साथ शर्त/अधिकार

कंपनी के पास 10 रु. प्रति शेयर के बराबर इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरों के धारक सभी तरजीही राशि के वितरण के बाद, कंपनी की शेष परिसंत्तियों को प्राप्त करने के हकदार हैं। शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में वितरण होगा।

(ख) कंपनी में समग्र शेयरों का 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का ब्यौरा

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
		शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
1	भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार	5,00,00,000	5,00,00,000
	(धारित प्रतिशत)	100%	100%

(ग) प्रतिवेदित अवधि की शुरूआत और अंत में अधिशेष शेयरों का मिलान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2021 के अनुसार शेयरों की संख्या
	वर्ष की शुरूआत में	5,00,00,000	5,00,00,000
	वर्ष के अंत में	5,00,00,000	5,00,00,000

(घ) वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

क्र. सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार	4,99,99,940	99.9988%	शून्य
2	डॉ. टी. महापात्र, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
3	श्री एस.के. उपाध्याय, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
4	श्री प्रेम प्रकाश मौर्य, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
5	श्री राजेश कुमार, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
6	श्री शालीन अग्रवाल, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
7	श्री जितेंद्र मिश्रा, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
कुल		**5,00,00,000**	**100%**	

(ङ) वर्ष की शुरूआत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

क्र. सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार	4,99,99,940	99.9988%	शून्य
2	डॉ. टी. महापात्र, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
3	श्री एस.के. उपाध्याय, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
4	श्री प्रेम प्रकाश मौर्य, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
5	श्री राजेश कुमार, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
6	श्री शालीन अग्रवाल, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
7	श्री जितेंद्र मिश्रा, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
कुल		**5,00,00,000**	**100%**	

नोट : 3 आरक्षित निधियां और अधिशेष

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1	लाभ और हानि के विवरणों के अनुसार अधिशेष :		
	पिछले वित्तीय विवरणों से अग्रेषित शेष राशि	21,06,705	19,67,732
	योग : वर्ष में लाभ	1,54,110	1,38,973
	कुल	**22,60,815**	**21,06,705**

नोट : 4 व्यापार देय राशियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1	एमएसएमई को देय कुल बकाया	-	-
2	एमएसएमई के अतिरिक्त देय कुल बकाया		
	क) लाइसेंस शुल्क का शेयर - आईसीएआर का शेयर	1,21,044	68,300
	ख) लाइसेंस शुल्क का शेयर - संस्थान का शेयर	5,43,107	2,40,097
	ग) अन्य	577	525
	कुल	**6,64,728**	**3,08,922**

नोट : 4.1 दिनांक 31 मार्च, 2022 के अनुसार कालिक क्षय की व्यापार देय राशियां

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
	(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
	(ii) अन्य	3,44,306	1,29,133	68,495	1,22,794	6,64,728
	(iii) विवादित बकाया एमएसएमई	-	-	-	-	-
	(iv) विवादित बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
		3,44,306	1,29,133	68,495	1,22,794	6,64,728

नोट : 4.2 31 मार्च, 2021 को ट्रेड पेएबल्स एजिंग शेडड्यूल

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
	(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
	(ii) अन्य	1,57,133	92,250	57,789	1,750	3,08,922
	(iii) विवादित बकाया एमएसएमई	-	-	-	-	-
	(iv) विवादित बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
	कुल	**1,57,133**	**92,250**	**57,789**	**1,750**	**3,08,922**

नोट : 5 अन्य वर्तमान देयताएं

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1	भुगतान योग्य सांविधिक देय	22,312	12,377
2	प्रतिभूतियां	1,129	1,729
3	ग्राहकों से अग्रिम	3,095	2,070
	कुल	**26,536**	**16,176**

नोट : 6 अल्पकालिक प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1	व्यय के लिए प्रावधान	17,709	15,014
	कुल	**17,709**	**15,014**

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट

नोट 7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त आस्तियां

(राशि सौ में)

क्र. सं.	आस्तियां	कुल संपत्तियां				मूल्यह्रास				निवल संपत्तियां	
		01.04.21 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विलोपन/ समायोजन	31.03. 22 के अनुसार	01.04. 2021 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	समायोजन, यदि कोई हो	31.03. 2022 के अनुसार	31.03. 2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
1	भवन	17,149	-	-	17,149	8,053	864	-	8,917	8,232	9,096
2	र्नीचर और क्सिचर	44,691		-	44,691	37,995	1,734	-	39,729	4,962	6,696
3	कार्यालय उपकरण	29,494		-	29,494	28,689	363	-	29,052	442	805
4	बिजली की स्थापना और उपकरण	13,976	-	-	13,976	11,880	543	-	12,423	1,553	2,096
5	कम्प्यूटर और सहायक सामग्री (एक्सेसरीज़)	11,606	-	-	11,606	11,493	71	-	11,564	42	113
	उप-योग	1,16,915	-	-	1,16,915	98,109	3,575	-	1,01,684	15,231	18,806
(ख)	अमूर्त आस्तियां										
6	सॉ"टवेयर	1,658	-	-	1,658	1,575	-	-	1,575	83	83
	उप-योग	1,658	-	-	1,658	1,575	-	-	1,575	83	83
	सकल योग (वर्तमान वर्ष)	1,18,574	-	-	1,18,574	99,685	3,575	-	1,03,260	15,314	18,889
	सकल योग (पिछला वर्ष)	1,18,574	-	-	1,18,574	94,805	4,880	-	99,685	18,889	23,769

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट

नोट : 8 व्यापार प्राप्य

(राशि सौ ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	06 माह से कम	06 माह से 01 वर्ष	06 माह से 01 वर्ष	02-03 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	कुल
1	(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा						
2	माना जाता है	69	-	-	-	-	69
3	(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध						
4	माना जाता है	-	-	-	-	-	-
	(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा						
	माना जाता है	-	-	-	-	-	-
	(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध						
	माना जाता है	-	-	-	-	-	-
	कुल						**69**

नोट : 9 नकद और नकद तुल्य

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1	**नकद और नकद तुल्य**		
	बैंक सहित शेष राशि	7,27,454	4,08,222
	- चालू खाते में	70,01,498	68,00,000
	- 12 माह से कम की परिपक्वता अवधि		
2	के साथ सावधि जमा खाते में	1	-
	नकद रूप में उपलब्ध राशि		
	कुल (क+ख)	**77,28,953**	**72,08,222**

नोट : 10 अन्य वर्तमान आस्तियां

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1	राजस्व अधिकारियों के पास शेष	63,463	44,521
2	सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज	1,55,218	1,67,670
3	पूर्वप्रदेय व्यय	118	332
		2,18,798	2,12,523

नोट : 11 प्रचालनों से राजस्व

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1	लाइसेंस शुल्क	5,32,850	3,90,575
2	परामर्शी सेवा शुल्क	593	–
	कुल	**5,33,443**	**3,90,575**

नोट : 12 अन्य आय

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1	सावधि जमा पर ब्याज	2,80,815	3,05,663
2	विविध	320	652
	कुल	**2,81,135**	**3,06,315**

नोट : 13 कर्मचारी हितलाभों पर व्यय

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1	वेतन		
	स्थायी कर्मचारियों के लिए	51,406	42,858
	संविदा कार्मिकों के लिए	37,569	43,260
	एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के लिए	37,209	35,050
2	व्यय की प्रतिपूर्ति	1,751	1,049
	कुल	**1,27,935**	**1,22,218**

नोट : 14 वित्त लागतें

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1	बैंक प्रभार	49	111
	कुल	**49**	**111**

नोट : 15 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1	मूल्यह्रास	3,575	4,880
	कुल	**3,575**	**4,880**

नोट : 16 अन्य व्यय

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
	अन्य प्रत्यक्ष लागतें		
1	लाइसेंस शुल्क की लागत	4,27,954	3,13,580
2	अभिगम हितलाभ शेयर (एनबीए)	3,180	-
	अन्य अप्रत्यक्ष लागत		
1	प्रशासनिक व्यय	1,099	2,471
2	बिजली और पानी	4,238	3,682
3	किराया, दरें और कर	1,748	1,748
4	सामान्य सेवा शुल्क	1,354	9,466
5	प्रिंटिंग व स्टेशनरी	3,851	2,290
6	संचार	169	153
7	वाहन किराए पर लेने का व्यय	6,809	7,462
8	देशीय यात्रा	1,325	112
9	विज्ञापन	3,486	3,957
10	शुल्क और सदस्यता	339	60
11	बीमा	108	-
12	मरम्मत और रखरखाव		
	- अन्य	14,216	5,658
13	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	4,991	3,968
14	आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	250	305
15	सचिवीय लेखा परीक्षा शुल्क	50	50
16	लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक		
	- लेखा परीक्षा शुल्क	460	460
17	जीएसटी पर ब्याज	-	4
18	टीडीएस पर ब्याज	227	-
19	प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	27,224
20	विविध	1,148	1,319
	कुल	**4,77,001**	**3,83,968**

नोट : 17 आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1	डब्ल्यूडीवी के कारण		
	कंपनी अधिनियम के अनुसार	15,314	18,889
	आय कर के अनुसार	41,756	47,427
	कंपनी अधिनियम के ऊपर आय कर के रूप में डब्ल्यूडीवी तक पहुंच	(26,442)	(28,539)
	कुल	26,442	28,539
	आस्थगित कर आस्तियां @ 25.168%	6,655	7,183
	लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए	528	422

नोट : 18 प्रति इक्विटी शेयर आय

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
लाभ और हानि के विवरणों के अनुसार प्राप्त निवल लाभ	1,54,110	1,38,973
इक्विटी शेयर धारक	5,00,000	5,00,000
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	5,00,000	5,00,000
क. प्रति 10 रुपये शेयर मूल आय	0.31	0.28
ख. प्रति 10 रुपये शेयर मिश्रित आय	0.31	0.28

नोट : 19 आकस्मिक देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताएं मौजूद हैं :-		
क) कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
- माल और सेवा कर मामले	शून्य	शून्य
- आयकर मामले	शून्य	शून्य
- अन्य मामले	शून्य	शून्य
श्रीमती निधि गोधा का वेतन	41,930	41,930
ख) पूंजीगत खातों पर निश्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	शून्य	शून्य
ग) अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	शून्य	शून्य

नोट : 20 संबंधित पक्षकार लेनदेन प्रकटीकरण

(i) संबंधित पक्षों के नाम जहां नियंत्रण मौजूद है और संबंधित पक्ष जिनके साथ लेन-देन हुआ है और उनका संबंध :

क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक/कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले व्यक्ति :

- डॉ. त्रिलोचन महापात्र, निदेशक
- श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक
- डॉ. अशोक महादेव राव दलवाई, निदेशक
- श्री आनंद मोहन अवस्थी, निदेशक
- श्री गौंडर करुपाणा नागराज, निदेशक
- श्री संजय गर्ग, निदेशक
- डॉ. प्रवीण मलिक, निदेशक
- डॉ. कोंडापी श्रीनिवास, निदेशक
- डॉ. सुधा मैसूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- सुश्री धृति मदान, कंपनी सचिव
- श्री सौरभ मुनि, मुख्य वित्त अधिकारी

वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में प्रकटीकरण

(राशि सौ ₹ में)

	विवरण	संबंध	मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 का समाप्त वर्ष के लिए
1	**प्रबंधकीय पारिश्रमिक**			
	- डॉ सुधा मैसूर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	51,406	42,858
	- सुश्री धृति मदान	कंपनी सचिव	7,200	6,900
2	**व्यय की प्रतिपूर्ति**			
	- डॉ सुधा मैसूर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	791	579
	- श्री सौरभ मुणि	मुख्य वित्त अधिकारी	609	163
3	**निदेशक बैठक शुल्क**			
	- श्री आनंद मोहन अवस्थी	निदेशक	100	-
	- श्री गौंडर करुपाणा नागराज	निदेशक	100	-

नोट 21 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006)

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 1022(ई) जारी की है, जो सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों को देय राशि के संबंध में कुछ प्रकटीकरण निर्धारित करती है। तदनुसार, विक्रेताओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर वित्तीय विवरणों में ऐसे उद्यमों को देय राशि के संबंध में प्रकटीकरण किया गया है। इस संबंध में आवश्यक जानकारी नीचे दी गम्र है :

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न किए जाने के कारण बकाया मूलधन एवं उस पर देय ब्याज		
-मूलधन	-	-
-ब्याज	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, (अधिनियम) की धारा 16 के संदर्भ में खरीददार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	-	-
भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय राशि और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की राशि और अप्रदत्त शेष राशि	-	-
बाद के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, उस तारीख तक वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं किया गया देय ब्याज जैसा कि ऊपर वर्णित है	-	-

नोट 22 : आस्थगित कर देयताएं/आस्तियां

कंपनी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''आय पर करों के लिए लेखांकन'' पर एएस-22 का पालन कर रही है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है और इसे केवल उस सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है कि एक वर्चुअल निष्चितता हो कि संपत्ति को भविष्य में प्राप्त किया जाएगा।

नोट 23 : मुख्य अनुपातों का प्रकटीकरण

क्र. सं.	विवरण	अंश	भाजक	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	अंतर का प्रतिशत	यदि 25 प्रतिशत से अधिक अंतर है तो इसका कारण
1	वर्तमान अनुपात (गुना)	कुल मौजूदा आस्तियां	कुल मौजूदा देयताएं	11.21%	21.82%	-11%	महत्वपूर्ण नहीं
2	ऋण-इक्विटी अनुपात (गुना)	कुल ऋण	कुल इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (गुना)	ऋण चुकाने के लिए उपलब्ध आय (1)	ऋण सेवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	इक्विटी अनुपात पर आय (%)	इस वर्ष का लाभ	औसत कुल इक्विटी	31%	28%	3%	महत्वपूर्ण नहीं
5	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (गुना)	उत्पादों की बिक्री	औसत सूची	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	व्यापार प्राप्य राशि टर्नओवर अनुपात (गुना)	ग्राहकों के साथ करार से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	15419.65%	0.00%	15420%	मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य (फ्लोसर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) के खाते में शेष राशि 6919 रुपये है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान व्यापार प्राप्य शेष शून्य था।
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (गुना)	नेट क्रेडिट खरीद	माल के लिए देय औसत व्यापार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	ग्राहकों के साथ करारों से राजस्व	औसत कार्यशील पूंजी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	प्रचालन सीमा (%)	ब्याज, कर और असाधारण मदों से अन्य आय घटाने से पूर्व आय	बिक्री और सेवाओं का मूल्य	25%	27%	-2%	महत्वपूर्ण नहीं
10	नियोजित पूंजी पर आय (%)	कर पूर्व लाभ वित्त लागत घटाकर अन्य आय जोड़ें	नियोजित पूंजी	3.00%	3.00%	0%	महत्वपूर्ण नहीं
11	निवेश पर आय	शुद्ध आय	निवेश की लागत	4%	4%	0%	महत्वपूर्ण नहीं

नोट 24 : अन्य सांविधिक सूचना

क) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, न ही लंबित है।

ख) कंपनी ने निर्दिष्ट व्यक्तियों जैसे को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। प्रवर्तक, निदेशक, केएमपी, संबंधित पक्ष जो मांग पर चुकाने योग्य हैं या जहां समझौते में चुकौती की कोई शर्तें या अवधि निर्दिष्ट नहीं है।

ग) कंपनी को किसी भी ऋणदाता द्वारा इरादतन डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है, जिसके पास वित्तीय वर्ष के दौरान या रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बाद किसी भी समय लेकिन वित्तीय विवरणों को मंजूरी देने की तारीख से पहले कंपनी को इरादतन डिफॉल्टर घोषित करने की शक्तियां हैं।

घ) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया है, इस समझ के साथ कि मध्यस्थ: (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या अन्य में निवेश करेगा, कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए व्यक्ति या संस्थाएं या (ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं।

ङ) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) से इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है कि कंपनी: (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देना या निवेश करना या (ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस प्रकार की सुविधा प्रदान करना।

च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत काट दी गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन और/या बकाया राशि नहीं है।

छ) कंपनी के पास कोई लेनदेन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं है लेकिन आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में खुलासा किया गया है (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या कोई अन्य आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधान)।

ज) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में ट्रेड या निवेश नहीं किया है।

झ) कंपनी ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

ञ) कंपनी के पास कोई चार्जेस या सैटिसफैक्शन नहीं है जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ पंजीकृत होना बाकी है।

नोट 25 : पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्समूहित /पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

संलग्न की गई हमारी समतिथियक रिपोर्ट के अनुसार
(एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी)
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या: 000533 एन

निदेशक मण्डल की ओर से
(एग्रीनोवेट (AgIn) इंडिया लि.)

(एस.सी. वर्मा)	**(कोंडापी श्रीनिवास)**	**(त्रिलोचन महापात्र)**
भागीदार :	निदेशक	निदेशक
सदस्यता संख्या: 011450	डीआईएन: 09230147	डीआईएन: 07556629

स्थान : नई दिल्ली	**(सुधा मैसूर)**	**(धृति मदान)**	**(सौरभ मुनि)**
दिनांक : 21.07.2022	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी
	PAN:ABNPS0707N	A-27642	PAN : AWKPM3684Q

S. C. VARMA AND CO.
Chartered Accountants
A-60, NDSE, Part-I, New Delhi - 110049,
Tel.: 24648247, 24649845, 41625248
Email : scvarma@scvandco.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

सेवा में
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

अभिमत/राय

हमने एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि से संबंधित बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि का विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो का विवरण के साथ ही वित्तीय विवरणों के नोट्स और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांष (बाद में ''वित्तीय विवरण'' के रूप में संदर्भित) सम्मिलित हैं।

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के तहत आवश्यक जानकारी को निर्धारित पद्धति से प्रदान करते हैं और एक सत्य और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के मामलों की स्थिति को उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि और नकदी प्रवाह को प्रस्तुत करते हैं

अभिमत/राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अनुच्छेद में लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों को वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से अलग एवं स्वतंत्र हैं, साथ ही स्वतंत्रता आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, अनुलग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और इस पर लेखा परीक्षा से संबंधित रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे अंकेक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में भौतिक रूप से गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों दी गई सूचनाओं के संदर्भ में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष विषय प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हों, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक रूप से गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी को लाभकारी कंपनी के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने जैसा कि लागू हो, जब तक कि प्रबंधन, कम्पनी को लिक्वीडेट करने या इसके संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, तब तक लाभकारी कम्पनी से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है।

यह निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक रूप से गलत विवरणों से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा ही एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता

है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उचित रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर रूप से संदेह बनाए रखते हैं। हम :

- वित्तीय विवरणों में गलत विवरण के जोखिमों को पहचान एवं उनका आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों को पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले गलत विवरण से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों के कार्यान्वयन प्रभावशाली है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन द्वारा लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण में ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि अपनी राय को संशोधित करने के लिए किए गए खुलासे अपर्याप्त हैं, तो। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी लाभकारी प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद हो सकती है।

- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंर्तनिहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की अहमियत भौतिकत्व है, जो एकल रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और लेखा परीक्षा के समय एवं महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में प्रशासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में ज्ञात महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचान करते हैं।

हम शासन से जुड़े लोगों को यह विवरण देते हैं कि हमने लेखा परीक्षा से संबंधित स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों/संबंधित और अन्य मामलें का उल्लेख करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता पर पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं, और जहां लागू हो वहां संबंधित सुरक्षा उपाय भी सूचित करते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1 केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 (11) के अंतर्गत जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश 2020 (''आदेश'') के अनुसार आवश्यक के रूप, हम ''अनुलग्नक ए'' में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर जहां तक लागू हो, एक बयान देते हैं,

1A जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि -

क) हम ने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानूनी तौर पर अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट द्वारा उल्लेखित बैलेंस शीट और लाभ एवं हानि विवरण प्रासंगिक लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं।

ङ) निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए, निदेशकों से 31 मार्च, 2021 को प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164 (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु 31 मार्च, 2021 तक अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, ''अनुलग्नक बी'' में हमारी अलग रिपोर्ट देखी जा सकती है। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

1B कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि हमारी राय में संशोधन किया गया है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित हैं :

क) कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमे नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

ख) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिससें कोई वास्तविक नुकसान हो सकता है।

ग) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

घ1) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई भी धन (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन के प्रकार से) कोई भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं, जिनमें विदेशी संस्थाएं (''मध्यस्थ'') शामिल हैं, को इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी की ओर से (''अंतिम लाभार्थी'') या अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस प्रकार से देने हेतु मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देने या अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करने या किसी भी तरीके से उपयोग करने हेतु, अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया है।

2) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई भी धन (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन के प्रकार से) कोई भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं, जिनमें विदेशी संस्थाएं (''मध्यस्थ'') शामिल हैं, को इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी की ओर से (''अंतिम लाभार्थी'') या अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस प्रकार से देने हेतु मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देने या अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करने या किसी भी तरीके से उपयोग करने हेतु, अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया है।

3) ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (डी) (i) और (ii) (बी) के तहत अभ्यावेदन) में कोई सामग्री गलत विवरण शामिल है।

ङ) कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई लाभांश घोषित किया है और न ही भुगतान किया है।

1C अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, यथासंशोधित:

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है और

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत सीएजी द्वारा जारी निर्देश/उप-निर्देश के अनुसार मामलों पर एक रिपोर्ट ''अनुलग्नक-सी'' के रूप में संलग्न है।

कृते **एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000533 एन

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 011450
UDIN :22011450 ANSTID 2967

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.07.2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ए

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक - ए में वित्तीय विवरणों पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1 (ए) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (''पीपीई'') की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(बी) कंपनी के पास पीपीई के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जो हमारी राय में उचित है। वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के तहत कवर की जाने वाली परिसंपत्तियों का प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं देखी गई।

(सी) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और अत:, आदेश के खंड (i) (सी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(डी) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी पीपीई या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है, अत: आदेश के खंड (i) (डी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

2 (ए) कंपनी के पास अपने व्यवसाय में कोई सूची नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड (ii) (ए) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है

(बी) कंपनी को चालू संपत्तियों की सेक्युरिटी के आधार पर, बैंकों या वित्तीय संस्थानों से, कुल मिलाकर, पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है अत: आदेश के खंड (ii) (बी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

3 कंपनी ने अन्य कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को ऋण की

प्रकृति में कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण या अग्रिम, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है अत: खंड (iii) के तहत रिपोर्टिंग आदेश कंपनी पर लागू नहीं है।

4 कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है, या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, जिस पर कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हैं और इसलिए, आदेश के खंड (iv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

5 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है, जिसे वर्ष के दौरान जमा माना जाता है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 या किसी अन्य के प्रावधान कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

6 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत कंपनी द्वारा लागत रिकॉर्ड के रखरखाव निर्धारित नहीं किया है और इसलिए, आदेश के खंड (अप) के तहत रिपोर्टिंग करना कंपनी पर लागू नहीं है।

7क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और उस पर लागू अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक देय राशि उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने में नियमित है। इसके अलावा, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक बकाया के संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि 31 मार्च, 2022 तक, जिस तारीख वे देय हो उस तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

7ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, उपरोक्त उप खंड (ए) में संदर्भित कोई वैधानिक देय राशि नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।

8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं था, जिसे वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या खुलासा के रूप में बही खातों में रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है।

9क हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने ऋणों या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान या किसी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ख. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य उधारदाताओं द्वारा इरादतन चूककर्ता (डिफाल्टर) घोषित नहीं किया गया है।

ग. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और इसलिए, आदेश के खंड (पग) (सी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान लघु अवधि के आधार पर कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए, आदेश के खंड (पग) (डी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ड़. कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई फंड नहीं लिया है। कंपनी के पास कोई सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड (पग) (ई) के तहत आवश्यक विवरण कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड (पग) (एफ) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

10क. कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए, आदेश के खंड (ग) (ए) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ख. कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए, आदेश के खंड (पग) (बी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

11क. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

ख. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत वर्ष के दौरान या इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत केंद्र सरकार के पास फॉर्म एडीटी - 4 में कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

12. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

13. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण एवं कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और लागू लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में इसके विवरण का खुलासा किया गया है।

14क. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

ख. हमने इस लेखा परीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया है।

15. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

16 हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार :

क. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

ख. कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की आवश्यकताओं के तहत वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।

ग. कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित एक कोर निवेश कंपनी नहीं है।

घ. कंपनी के पास एक से अधिक कोर निवेश कंपनियां नहीं हैं जो समूह का हिस्सा है।

17. वित्तीय वर्ष के दौरान और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी को नकद घाटा नहीं हुआ है।

18. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है अतः आदेश के खंड (xviii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

19. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, आयु बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं का हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिसके कारण हमें यह विश्वास हो गया है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी अपनी मौजूदा देनदारियों बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर उन्हें पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं देते है। हम आगे सूचित करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों जब वे देय होते हैं, का भुगतान किया जाएगा।

20. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए अंशदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड (xx) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

21. कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, आदेश के इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते **एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000533 एन

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 011450
UDIN : 22011450 ANSTID 2967

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.07.2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - बी

(एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के भाग के पैराग्राफ 2 (ए) (एफ) में संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने अपने ऑडिट के दौरान 31 मार्च, 2022 को एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन के दायित्व

कंपनी का प्रबंधन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के अंतर्गत कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शन नोट'') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्षक नोट और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा के मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने जाने के अनुसार अपना ऑडिट किया। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और, दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

(i) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण अनुसार, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और प्रकृति को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है।

(ii) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां एवं व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की अनुमति के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

(iii) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक रूप से गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

अभिमत/राय

हमारी राय में, कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2021 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित है।

कृते **एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000533 एन

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 011450
UDIN : 22011450 ANSTID 2967

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.07.2022

अनुबंध-ग 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' भाग के पैरा-3 में संदर्भित)

1	जहां कंपनी के पास क्रमश: फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए स्पष्ट टाइटल/लीज डीड हैं? यदि नहीं, तो कृपया बताएं कि फ्रीहोल्ड और लीज होल्ड भूमि का वह क्षेत्र जिसके लिए टाइटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं हैं।	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार कोई फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि नहीं है
2	क्या उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बटे खाते में डालने की कोई मामला है। यदि हां, तो इसका कारण और इसमें शामिल राशि।	ऐसा कोई मामले नहीं हैं।
3	क्या तीसरे पक्ष के पास पड़े सामान और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त संपत्ति के लिए उचित रिकॉर्ड का रखरखाव किया जाता है।	कंपनी में कोई सामान सूची नहीं है और सरकार या अन्य प्राधिकरणाों से कोई संपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए लागू नहीं है।

ऐसे उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों की रिकॉर्डिंग के आधार पर, उस पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है और इनसे कंपनी के खातों और वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

कृते **एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000533 एन

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 011450
UDIN : 22011450 ANSTID 2967

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.07.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

(हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत अनुच्छेद-3 में संदर्भित)

1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ खातों की प्रामाणिकता पर प्रभाव, यदि काई हो, तो उल्लेख करें।	कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने के लिए आईटी प्रणाली है। सभी लेखांकन प्रविष्टियाँ कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में दर्ज की जाती हैं और प्राधिकृत करने और सभी प्रविष्टियों को बंद करने के बाद खाता बनाया जाता है। इसलिए, आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेनों के प्रसंस्करण का कोई निहितार्थ (इम्प्लीकेशंन) नहीं है।
2	क्या ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को मौजूदा ऋण का कोई नवीनीकरण (रिस्ट्रक्चरिंग) किया गया है या उधार/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का अच्छी तरह से हिसाब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में अक्षमता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को मौजूदा ऋण के नवीनीकरण या उधार/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले नहीं हैं।
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी इत्यादि) को इसकी शर्तों के अनुसार ठीक से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची दें।	वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से कोई निधि (अनुदान/सब्सिडी इत्यादि) प्राप्त नहीं हुई है।

ऐसे उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों की हमारी सर्वोत्तम जानकारी और अभिलेखन के अनुसार, उस पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसका कोई निहितार्थ (इम्प्लीकेशंस) नहीं है।

कृते **एस. सी. वर्मा एंड कम्पनी**
चार्टर्ड उकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000533N

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 011450
UDIN : 22011450 ANSTID 2967

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.07.2022

S. C. VARMA AND CO.
Chartered Accountants
A-60, NDSE, Part-I New Delhi - 110049,
Tel.: 24648247, 24649845, 24638170
Email : scvarma@scvandco.com

अनुपालन प्रमाण-पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/उप-निर्देश के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए **एग्रिनोवेट इंडिया लिमिटेड** के खातों की लेखापरीक्षा की है और हम प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी दिशा-निर्देशों/उप-निदेशों का अनुपालन किया गया है।

कृते **एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000533 एन

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 011450
UDIN : 22011450 ANSTID 2967

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.07.2022

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी नियम, 2014 के नियम 9 (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) का अनुपालन]

सेवा में,
सदस्यगण,
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
जी-2, ए ब्लॉक, ए.ए.एस.सी. परिसर
डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली-110012

हमने **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (CIN U01400DL2011GOI226486)** (जिसे इसके बाद 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट पद्धतियों के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई थी जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार उपलब्ध हुआ है।

क. कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्म और दाखिल रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों की जांच के आधार पर और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2022 ('लेखा परीक्षा अवधि') को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीब) सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं हैं और अनुपालन-तंत्र इस हद तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन:

ख. हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखरखाव किए गए बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम,

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उप-नियम कंपनी पर लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं होते हैं;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम के अनुसार एक सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी (फॉरेन) निवेश, विदेशी (ओवरसीस) प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि कंपनी में कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नहीं था और कंपनी द्वारा कोई बाहरी वाणिज्यिक उधार नहीं लिया गया था);

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश - (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(vi) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली के संबंध में, प्रासंगिक दस्तावेजों और उसके अनुसरण रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, नमूना जांच के आधार पर, कंपनी ने आम तौर पर कंपनी के लिए विषेश रूप से लागू कानूनों का अनुपालन किया है जैसा कि प्रबंधन द्वारा पहचाने

गए, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के कॉर्पोरेट प्रषासन पर दिशानिर्देश आदि शामिल हैं, कंपनी के लिए उनकी प्रयोज्यता की सीमा तक।

ग. हमने निम्नलिखित के लागू उपबंधों के अनुपालन की भी जांच की है :

i. निदेशक मंडल (एसएस -1) और सामान्य बैठक (एसएस -2) की बैठकों के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii. कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूची करारनामे। (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।

घ. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने आम तौर पर निम्नलिखित टिप्पणियों के अलावा ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

क) कंपनी नियम, 2014 के नियम 4 (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) के साथ पठित धारा 149 के अनुसार, कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कम से कम दो निदेशक होने चाहिए, हालांकि, कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

ख) कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की लंबित नियुक्ति और 31 मार्च, 2021 को बोर्ड और उसकी समितियों की अनुचित संरचना के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 की संबंधित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, इसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के न होने के कारण अन्य संबंधित आवश्यकताओं जैसे समिति की बैठकों के लिए कोरम, स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक आदि के साथ विचलन हुआ है।

ग) कंपनी ने अपनी जोखिम प्रबंधन नीति तैयार और अनुमोदित नहीं की है।

घ) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कुछ मामलों में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अतिरिक्त शुल्क के साथ फॉर्म और रिटर्न दाखिल किया है।

ड.) कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देशों और अन्य लागू कानूनों के तहत वेबसाइट पर और कंपनी की बोर्ड की रिपोर्ट में अनिवार्य प्रकटीकरण प्रकाषित करने की आवश्यकता है।

च) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार :

1 बोर्ड के कम से कम एक-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, पारिश्रमिक समिति के सभी सदस्य अंशकालिक निदेशक (अर्थात् नामांकित निदेशक या स्वतंत्र निदेशक) होने चाहिए और समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जानी चाहिए, हालांकि बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

2 बोर्ड की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार होगी और प्रत्येक वर्ष ऐसी कम से कम चार बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा, किन्हीं भी दो बैठकों के बीच का समय अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। हालाँकि, कंपनी के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हमने देखा कि पहली तिमाही के दौरान बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की गई थी और बोर्ड की बैठक दिनांक 25.03.2021 और 08.07.2021 के बीच का समय अंतराल 3 (तीन) महीने से अधिक है।

3 लेखापरीक्षा समिति की एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें होंगी और दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का समय नहीं होगा। हालाँकि, कंपनी के अभिलेखों के अवलोकन पर, हमने देखा कि लेखापरीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान 02.09.2021 और 23.02.2022 को केवल 2 (दो) बैठकें की हैं और बैठकों के बीच का समय अंतराल 4 (चार) महीनों से अधिक है।

4 कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के संबंध में त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट और वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को क्रमषः उक्त तिमाही के बंद होने के 15 दिनों के बाद और उक्त वर्ष के बंद होने के 30 दिनों के बाद प्रस्तुत की गई थी।

5 बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मी वार्षिक आधार पर आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करेंगे। हालांकि, हमने देखा कि कंपनी ने ऑडिट अवधि के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में पुष्टि नहीं की है।

6 जोखिम प्रबंधन योजना को लागू करने के लिए बोर्ड ने समय-समय पर समीक्षा और उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

7 कंपनी अपने बोर्ड के नए सदस्यों (कार्यात्मक, सरकारी, नामित और स्वतंत्र) के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें कंपनी के व्यवसाय का जोखिम प्रोफाइल, संबंधित निदेशकों की जिम्मेदारी और इस तरह की जिम्मेदारियां जिन्हें निष्पादित किया जाना है, शामिल हैं। उन्हें कॉरपोरेट गवर्नेंस, मॉडल कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स और संबंधित निदेशकों के लिए लागू आचरण पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि, कंपनी के पास नए बोर्ड सदस्यों को प्रशिक्षण देने की कोई नीति नहीं है।

छ. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है जिसमें ऊपर पैरा डी उल्लेखित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर, कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों का उचित संतुलन है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के तहत किए गए थे।

ज. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि आम तौर पर सभी निदेशकों को बोर्ड मीटिंग शेडड्यूल करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट्स आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते थे, हालांकि, कभी-कभी नोटिस और एजेंडा पेपर की बोर्ड की सहमति से शॉर्ट नोटिस के साथ भेजे गए थे। बोर्ड बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

झ. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते थे, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए तंत्र मौजूद है।

बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से किए जाते हैं जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है, जैसा भी मामला हो।

ञ. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्राप्त जानकारी और बनाए गए रिकॉर्ड के आधार पर कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं जो कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप हैं और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।

इस रिपोर्ट को हमारे सम-दिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो ''अनुलग्नक-क'' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

कृते **वीएपी एंड एसोसिएट**
कम्पनी सचिव

पारूल जैन
प्रोपराइटर
एम. नं. F8323
सी.पी. नं. 13901
यूडीआईएन : F008323C000863463

दिनांक : 20.07.2022
स्थान : गाजियाबाद

अनुलग्नक - ए

सेवा में,
सदस्यगण
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
जे-2, 'ए' ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर
डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली-110012

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1 सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।

2 हमने लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि हमने जिस प्रक्रिया और प्रथाओं का पालन किया है, वह हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

3 हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता की जांच नहीं की है।

4 कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की समीक्षा इस ऑडिट में नहीं की गई है क्योंकि यह वैधानिक लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेषेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

5 हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में जहां भी आवश्यक हुआ है, वहां प्रबंधन का बयान प्राप्त किया है।

6 कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

7 सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते वीएपी एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सेक्रेटरीज

पारूल जैन
प्रोपराइटर
M. No. F8323
C.P. No. 13901
UDIN: F008323C000863463

दिनांक : 20.07.2022
स्थान : गाजियाबाद

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली मानकों के अनुपालन पर प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
नई दिल्ली-110012

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मैसर्स एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में प्रासंगिक पुस्तकों, अभिलेखों और विवरणों की जांच की है, जैसा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कार्पोरेट शासन दिशानिर्देश (सीपीएसई), 2010 निर्धारित हैं।

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उपरोक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। हमारा प्रमाणन न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों को छोड़कर, उपर्युक्त डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों की शर्तों का अनुपालन किया है:

1 बोर्ड के सदस्यों में कम से कम एक-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, पारिश्रमिक समिति के सभी सदस्य अंशकालिक निदेशक (अर्थात् नामांकित निदेशक या स्वतंत्र निदेशक) होने चाहिए और समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जानी चाहिए, हालांकि बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

2 बोर्ड की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार होगी और प्रत्येक वर्ष ऐसी कम से कम चार बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा, किन्हीं भी दो बैठकों के बीच का समय अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। हालाँकि, कंपनी के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हमने देखा कि पहली तिमाही के दौरान बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की गई थी और बोर्ड की बैठक दिनांक 25.03.2021 और 08.07.2021 के बीच का समय अंतराल 3 (तीन) महीने से अधिक है।

3 लेखापरीक्षा समिति की एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें होंगी और दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का समय अंतराल नहीं होगा। हालाँकि, कंपनी के अभिलेखों के अवलोकन पर, हमने देखा कि लेखापरीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान 02.09.2021 और 23.02.2022 को केवल 2 (दो) बैठकें की हैं और बैठकों के बीच का समय अंतराल 4 (चार) महीनों से अधिक है।

4 कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के संबंध में त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट और वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को क्रमशः उक्त तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के बाद और उक्त वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के बाद प्रस्तुत की गई थी।

5 बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मी वार्षिक आधार पर आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करेंगे। हालांकि, हमने देखा कि कंपनी ने ऑडिट अवधि के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में पुष्टि नहीं की है।

6 जोखिम प्रबंधन योजना को लागू करने के लिए बोर्ड ने समय-समय पर समीक्षा और उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

7 कंपनी अपने बोर्ड के नए सदस्यों (कार्यात्मक, सरकारी, नामित और स्वतंत्र) के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें कंपनी के व्यवसाय का जोखिम प्रोफाइल, संबंधित निदेशकों की जिम्मेदारी और इस तरह की जिम्मेदारियां जिन्हें निष्पादित किया जाना है, शामिल हैं। उन्हें कॉरपोरेट गवर्नेंस, मॉडल कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स और संबंधित निदेशकों के लिए लागू आचरण पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि, कंपनी के पास नए बोर्ड सदस्यों को प्रशिक्षण देने की कोई नीति नहीं है।

8 हम आगे उल्लेख करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावशीलता की दक्षता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते वीएपी एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सेक्रेटरीज
FRN: S2014UP280200

पारूल जैन
प्रोपराइटर
M. No. F8323
C.P. No. 13901
UDIN: F008323C000863463

दिनांक : 20.07.2022
स्थान : गाजियाबाद

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली
Office of the Director General of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources), New Delhi

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय

रिपोर्ट/2-112/डी.जी.ए./(ए.एफ.&डब्ल्यू.आर)/A/cs/Agrinnovate /2022-23/ 2960

दिनांक: 23/08/2022

सेवा में,

निदेशक एवं अध्यक्ष
एग्रीन्नोवेट इंडिया लिमिटेड
जी-2, ए ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. कॉम्पलैक्स, डी.पी.एस मार्ग,
नई दिल्ली-110012

विषय: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत एग्रीन्नोवेट इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ ।

महोदया,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत एग्रीन्नोवेट इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर Non-Review प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें ।

भवदीया,

संलग्न: यथोपरी

Mr. Rahul Kumar, CFO Agm for n/a pl.
24/8/22

Agrinnovate India Ltd
Dy. No F 1578 Date 24/8/2022

कृ तिवारी
23/8

(कीर्ति तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (कृषि, खाद्य एंव जल संसाधन)

आठवाँ व नवाँ तल, सी.ए.जी. संकाय भवन, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
8th & 9th Floor, CAG Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
दूरभाष/Phone: 011-23239419/20, फैक्स/Fax : 011-23239416

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF AGRINNOVATE INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

The preparation of financial statements of Agrinnovate India Limited for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their **Audit Report dated 21.07.2022.**

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of Agrinnovate India Limited for the year ended 31 March 2022 under section 143 (6)(a) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: New Delhi
Date: 23.08.2022

(Keerti Tewari)
Director General of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources)